विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2019/184 दिनांक :- 25/01/19

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.01.2019 का कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.01.2019 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2019/185 दिनांक :- 25/01/19

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

अनुभाग अधिकारी (अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2019/170 दिनांक :– 23/01/2019

कार्यपरिषद्
की
बैठक का कार्य विवरण

स्थान :– माधव भवन, उज्जैन

तिथि :– 23 जनवरी, 2019
समय :– अपरान्ह : 12:30 बजे

–:: उपस्थिति ::–

01.	प्रो. एस.एस.पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष
02.	डॉ. एच.पी. सिंह	सदस्य
03.	डॉ. बी.के. मेहता	सदस्य
04.	डॉ. आर.सी.जाटवा	सदस्य
05.	डॉ. आशुतोष दुबे	सदस्य
06.	श्री सुनील कुमार	सदस्य
07.	श्री सुरेन्द्र गांधी	सदस्य
08.	श्रीमती अमृता सोलंकी	सदस्य
09.	डॉ. डी.के. बग्गा	प्रभारी कुलसचिव एवं सचिव

विषय क्र.01. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.12.2018 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार।
(कार्यविवरण की प्रति संलग्न)

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि,कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.12.2018 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। विगत एक वर्ष की अवधि में आयोजित कार्यपरिषद् की बैठकों में प्रदान किये गये आदेश एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

विषय क्र.02. विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 28.12.2018 के कार्य विवरण की पुष्टि पर विचार।
(कार्यविवरण की प्रति संलग्न)

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि, विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 28.12.2018 के कार्य विवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)**

विषय क्र.03. शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना।
(सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।)

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की गई।

(क्रियान्वयन–गोपनीय विभाग)

विषय क्रं. 04. राजभवन से प्राप्त पत्र क्रं./F-1-/18/ रा.स./यू.ए.1/2197,दिनांक 21 दिसम्बर 2018 पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि,राज भवन से प्राप्त पत्र के संदर्भ में म.प्र.विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधानान्तर्गत कुलपति की नियुक्ति के लिये गठित होने वाली समिति के लिये नामों का पैनल तैयार करने बाबत् विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् के द्वारा गहन विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से पूर्व महाधिवक्ता मध्यप्रदेश एवं माननीय राज्यसभा सदस्य श्री विवेक तन्खा,को कार्यपरिषद् की ओर से निर्वाचित किया गया। निर्णय से राजभवन को सूचित किया जाये।

(क्रियान्वयन–अकादमिक विभाग)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार।

विषय क्रं.01. B.Com III Sem, ATKT के पर्यावरण अध्यन फाउण्डेशन –II के प्रश्नपत्र के संबंध में विचार।

टिप्पणी :– उपरोक्त विषय के संबंध में B.Com III Sem, ATKT के पर्यावरण अध्यन फाउण्डेशन –II के प्रश्नपत्र के रिवाईस टाईम–टेबल में दिनांक 05.01.2019 को परीक्षा होना प्रस्तावित थी। शा. के.पी. महाविद्यालय,देवास के सांय पाली के केन्द्राध्यक्ष एवं प्राचार्य से प्राप्त पत्र दिनांक 02.01.2019 से ज्ञात हुआ कि, उनके महाविद्यालय में तिथि में संशोधन हो जाने के कारण भूलवश उपरोक्त परीक्षा पुरानी तिथि (21.12.2018) को करा ली गई। जिसमें मात्र 05 परीक्षार्थी, 02 नियमित एवं 03 स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित हुए। दिनांक 31.12.2018 को विश्वविद्यालय द्वारा आगामी परीक्षा के प्रश्नपत्र भेजे गये इन्हें 01.01.2019 को तिथि वार जमाते समय यह त्रूटि महाविद्यालय के संज्ञान में आई।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि, उक्त त्रूटि महाविद्यालय स्तर पर हुई है। अतः उक्त प्रश्नपत्र की परीक्षा के पुनः आयोजन पर होने वाले संपूर्ण व्यय संबंधित त्रूटिकर्ताओं द्वारा व्यक्तिशः वहन किया जायेगा एवं उक्त राशी संबंधितों से वसूल की जाकर विश्वविद्यालय कोष में जमा कराई जाये। इस हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाये। **(क्रियान्वयन–गोपनीय विभाग)**

विषय क्र.02. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, पूर्व वित्त नियंत्रक का सातवें वेतनमान के अंतर एरियर राशि का भुगतान करने पर विचार।

टिप्पणी :– म.प्र.शासन वित्त विभाग,भोपाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एफ–8–1/2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.04.2018 द्वारा म.प्र. वेतन पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप प्रथम व द्वितीय श्रेणी के समस्त शासकीय सेवकों को देय राशि संबंधितों के भविष्य निधि खाते में जमा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त ऐरियर की प्रथम किश्त का भुगतान म.प्र.के सभी कर्मचारियों को माह मई 2018 में देय था एवं भुगतान किया जा चुका है। इसी अनुक्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत पूर्व वित्त नियंत्रक श्री पी.के.शर्मा म.प्र. वेतन पुनरीक्षण, 2017 में दिनांक 01.01.2016 से 01.06.2017 तक सातवें वेतनमान में देय वेतन अंतर ऐरियर कुल राशि रूपये 3,88,224/– तीन समान किश्तों में उनके

सामान्य भविष्य निधि खातें में अंतरित की जाना है। वित्त विभाग के निर्देशानुसार श्री पी.के. शर्मा, पूर्व वित्त नियंत्रक को देय राशि की प्रथम किश्त रूपये 1,29,408/– उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरण द्वारा भुगतान किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि, प्रस्ताव यथावत मान्य किया गया। **(क्रियान्वयन–लेखा विभाग)**

विषय क्रं.03. श्री एस.आर.एज्यूकेशन कॉलेज, नेवड़,जिला–नीमच,में सत्र 2018–19 में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं बी.एससी.बी.एड.–तृतीय वर्ष,पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता तथा बी.एड. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा पर विचार।

टिप्पणी :– उपरोक्तानुसार प्रस्ताव विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2018 में विषय क्रमांक 15 पर प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त बैठक के कार्यविवरण कार्यपरिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 13.12.2018 में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जा कर कार्यपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में लिये गये निर्णयानुसार बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि, प्रकरण आगामी विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये। **(क्रियान्वयन–सम्बद्धता विभाग)**

विषय क्रं.04. श्री एस.आर.तिवारी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,नेवड़,जिला–नीमच में सत्र 2018–19 में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं बी.ए.बी.एड.–तृतीय वर्ष की सम्बद्धता एवं बी.एड. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता–निरंरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा पर विचार।

टिप्पणी :– उपरोक्तानुसार प्रस्ताव विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2018 में विषय क्रमांक 21 पर प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त बैठक के कार्यविवरण कार्यपरिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 13.12.2018 में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जा कर कार्यपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में लिये गये निर्णयानुसार बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि, प्रकरण आगामी विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये। **(क्रियान्वयन–सम्बद्धता विभाग)**

विषय क्रं.05. विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में छात्रों की समस्याओं के निराकरण हेतु सभी अग्रणी महाविद्यालयों में सहायता केन्द्र स्थापित करने विषयक।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि, विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में छात्रों की समस्याओं के निराकरण हेतु सभी अग्रणी महाविद्यालयों में सहायता केन्द्र कार्यशील किया जावे। इस कार्य हेतु संयोजित प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारीगण को निम्नानुसार प्रतिदिवस कार्य के आधर पर प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जावे :–

01. प्राचार्य	–	04,000/–
02. शिक्षक	–	03,000/–

03. तृतीय श्रेणी — 02,000/–
04. चतुर्थ श्रेणी — 1,500/–

अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किये जाने वाले मानदेय की जानकारी प्राप्त की जाये एवं जो राशि कम हो उसे अंगीकृत कर लागू किया जाये। इस संबंध में यथा शीघ्र निर्णय लेने के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकृत किया जाये।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.06. विश्वविद्यालय में IUMS लागू किये जाने बाबत्।

टिप्पणी :– कार्यपरिषद् के सदस्य डॉ. आशुतोष दुबे, श्री सुनील कुमार, श्री सुरेन्द्र गांधी, एवं श्रीमती अमृता सोलंकी, द्वारा सम्मिलित रूप से कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.06.2018 में हुए निर्णय के अनुसार छात्र हित को देखते हुए विश्वविद्यालय में IUMS लागू किये जाने के बारे में हुई कार्यवही बाबत् जानकारी चाही गई।

निर्णय :– संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा वस्तुस्थिति विवरण से कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया। निर्णय लिया गया कि,संबंधित अनुमोदित शासकीय फर्म से समझौते का आलेख (MOU) किया जाये, जिससे छात्रहित एवं महाविद्यालयों में असुविधा न हो एवं डिजीटाईज़ ऑफीस के लिये कार्यवाही को आगे बढाया जा सके। **(क्रियान्वयन–भण्डार/विकास विभाग)**

विषय क्रं.07. डॉ.एस.के.मांजू, आचार्य भौमिकी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन से प्राप्त त्याग पत्र पर विचार।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि,डॉ.एस.के.मांजू, आचार्य भौमिकी अध्ययनशाला से प्राप्त त्याग पत्र पर आगामी कार्यवाही किये जाने के संबंध में राज्य महाधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की जा कर प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाये। **(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)**

विषय क्रं.08. कार्यपरिषद् सदस्य श्री आशुतोष दुबे द्वारा विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग में प्रवेश करने वाले शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, एवं बाह्य आगंतुकों प्राध्यापकों की पहचान सुनिश्चित किये जाने हेतु कम्प्यूटराईज्ड, पर्सोनल आईडेंटिफिकेशन सिस्टम तकनीक स्थापित किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि, प्रथमतः इस प्रणाली को नव निर्माणाधीन परीक्षा एवं गोपनीय भवन में लागू किया जाये। **(क्रियान्वयन–कम्प्यूटर सेंटर/भण्डार विभाग)**

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2019/261 दिनांक :- 01-08-19

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.07.2019 का कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.07.2019 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2019/262 दिनांक :- 01-08-19

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्र./अकादमिक/सम्मिलन/2019/208 दिनांक 27-07-2019

कार्यपरिषद्
की
बैठक का कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन तिथि : 19.07.2019
समय : मध्याहन 12:00 बजे

:: उपस्थिति ::

01.	डॉ. बालकृष्ण शर्मा	कुलपति एवं अध्यक्ष
02.	डॉ. योगेश रघुवंशी	सदस्य
03.	डॉ. आलोक कुमार राय	सदस्य
04.	डॉ. भारती सातनकर	सदस्य
05.	श्री सचिन दवे	सदस्य
06.	श्रीमती उषा जाटवा	सदस्य
07	श्रीमती शेवन्ती भगत	सदस्य
08.	डॉ. डी.के. बग्गा	कुलसचिव एवं सचिव

बैठक प्रारंभ करने के पूर्व माननीय कुलपतिजी द्वारा कार्यपरिषद् के समस्त नवागत सदस्यों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

विषय क्रं.1- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.01.2019 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार। (कार्यविवरण की प्रति संलग्न)

निर्णय निर्णय लिया गया कि, कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.01.2019 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन-अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.2- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.01.2019, 01.02.2019, 08.02.2019, एवं 15.02.2019, के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार। (कार्यविवरण की प्रति संलग्न)

निर्णय कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन-अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.3- परिनियम क्रमांक 27(संशोधित) की धारा 10(7) के प्रावधानानुसार संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 27.03.2019/05.04.2019/04.05.2019/10.05.2019 एवं 14.05.2019 के कार्यविवरण एतद् सूचनार्थ।

निर्णय कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन-अकादमिक विभाग)

निरंतर....2.....

विषय क्रं.4- शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों व परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना। (सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।)

निर्णय निर्णय लिया गया कि 23.01.2019 के पश्चात् शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधो के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना गाह्य की गई।

(क्रियान्वयन-गोपनीय विभाग)

विषय क्रं.5- शासन द्वारा स्वीकृत बजट वर्ष 2019-2020 की सूचना ग्राह्य करने विषयक।

टीप- 1. बजट वित्त वर्ष 2019-2020 की आय राशि रूपये 12,613.81/- लाख व्यय राशि रूपये 14360.99/-लाख।

2. वित्त वर्ष 2017-2018 का वास्तविक आय-व्यय।

3. म.प्र. शासन,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा धारा 52 की कंडिका क्र.05 व तृतीय अनुसूची की धारा 24(3) के अनुसार बजट की स्वीकृति पत्र क्रं./324/575/2019/38-3 भोपाल दिनांक 05.04.2019 सूचनार्थ।

4. वित्त वर्ष 2019-2020 बजट प्रावधान के विरूद्ध प्रथम त्रैमास माह अप्रैल,2019 से जून,2019 तक वास्तविक आय-व्यय की स्थिति स्वीकृति/अनुमोदन हेतु।

अतः प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय सामान्य परिस्थिति मे बजट विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है वर्तमान में धारा 52 प्रभावशील होने से बजट शासन द्वारा स्वीकृत किया गया। शासन द्वारा स्वीकृत बजट की सूचना ग्राह्य की गयी एवं वित्त वर्ष 2019-2020 बजट प्रावधान के विरूद्ध प्रथम त्रैमास माह अप्रैल 2019 से जून, 2019 तक वास्तविक आय-व्यय की स्थिति की स्वीकृति की गयी एवं अनुवर्ती कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

क्रियान्वयन-लेखा विभाग)

विषय क्रं.6- विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत शिक्षकों को यू.जी.सी. सातवां वेतनमान दिए जाने के संबंध में।

टीप :- म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रं. एफ-1-11/2018/38-1 भोपाल दि. 18.1.19 के द्वारा राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्याल में कार्यरत शिक्षकों समकक्ष संवर्ग में पदस्थ सभी अधिकारियों तथा विश्वविद्यालयो (निजी विश्वविद्यालय को छोड़कर) के कुलसचिवों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है। आदेश के बिन्दु क्रं. 1.4 जिसमें उल्लेख है उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विश्वविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गो के लिए यू.जी.सी. के सातवें वेतनमान की अनुशंसाओं का लाभ दिए जाने के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालयों को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार वेतनमान देने एवं इसकी लागू होने की तिथि का निर्धारण करने हेतु अधिकृत किये जाते है।

2. उक्तानुसार विक्रम विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग को 7वां यू.जी.सी. वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से लागू करने के पूर्व विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति अनुसार होने वाले अनुमानित व्यय की गणना लेखा विभाग द्वारा की जा चुकी है तथा लेखा विभाग द्वारा प्रतिमाह होने वाले व्यय भार का विश्वविद्यालय किन स्रोतों से भरपाई की जावेगी उसकी जानकारी भी लेखा विभाग द्वारा तैयार की जा चुकी है तथा विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद दि.7.11.17 में अध्यक्ष अनुमति के बिन्दु क्रं. 10 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियां को सातवें वेतनमान में शासन के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।

निरंतर....3.....

3. अतः विक्रम विश्वविद्यालय के शिक्षकीय संवर्ग को 7वें यू.जी.सी. वेतनमान दिये जाने हेतु म.प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रं. एफ-1-11/2018/38-1 भोपाल दि. 18.1.19 को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा अंगीकृत किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय निर्णय लिया गया कि म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रं. एफ-1-11/2018/38-1 भोपाल दि. 18.1.19 को यथानुसार अंगीकृत किया जाए। म.प्र. शासन के उक्त परिपत्र की कंडिका 1.3 एवं 1.4 अनुसार विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं शिक्षकों/अधिकारियों को सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि सातवें वेतनमान में अधिकारी एवं शिक्षकों का वेतन निर्धारण 1 जनवरी, 2016 से करते हुए 1 अप्रैल, 2019 से नगद भुगतान किया जाय।

क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

बैठक की प्रथम पूरक कार्य-सूची

विषय क्रं.1 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 267/(रुसा)/सीसी/2019 /38 दिनांकः 01-07-2019 द्वारा विभिन्न मदो में स्वीकृत राशि एवं वर्णित शर्तो के अनुसार स्वीकृत रु. 20.00 करोड की राशि विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जाने की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति हेतु।

टीप :- स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 302/(रुसा)/2019 दिनांकः 03-07-2019 के द्वारा रुसा-02, कम्पोनेंट 03 के अन्तर्गत विक्रम विश्वविद्यालय में अधोसंरचना कार्य हेतु रूपये 20,000,000/-(अक्षरी बीस करोड रुपये मात्र)की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्राप्त स्वीकृति के अनुसार विभिन्न मदों में व्यय किये जाने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

1	Academic Building Renovation	X	200	X	200
2	Administrative Building	X	70	X	70
3	Campus Development	X	70	75	145
4	Laboratory/lab equipment	X	50	200	250
5	Library	X	50	50	100
6	Computer Center	100	X	50	150
7	Hostels	500	X	X	500
8	Toilets	X	40	X	40
9	Sports Facility	X	50	25	75
10	Class Room	100	X	X	100
11	Auditorium	X	50	X	50
12	Canteen Cafeteria	X	20	X	20
13	SnathakBhavan /SoET	300	X	X	300
	TOTAL 1000	**600**	**400**	**2000**	

निरंतर....4.....

अतः उपरोक्त प्रकरण संसूचनार्थ, बजट प्रवधान अनुसार,राशि की उपलब्धता के आधार पर उपयोग एवं कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय निर्णय लिया गया कि स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) उच्च शिक्षा विभाग,मध्यप्रदेश द्वारा विश्वविद्यालय को स्वीकृत राशि रुपये 20.00 करोड (बीस करोड) को निर्धारित बजट प्रावधान अनुसार,राशि की उपलब्धता के आधार पर उपयोग एवं कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

(क्रियान्वयन-विकास विभाग)

विषय क्रं.2 विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में रेस्को मॉडल योजना के अंतर्गत सौर संयंत्र की स्थापना बाबत्।

टीप :- मध्यप्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार की गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित संसाधनों से प्राप्त विद्युत उर्जा का उत्पादन योजना के अंतर्गत समस्त शासकीय विभागों के भवन एवं रिक्त भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित किये जाना हैं।

उपरोक्त रेस्को मॉडल योजना में सौर ऊर्जा विकासक स्वयं के वित्तीय संसाधनों का उपयोग करके सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करता हैं, और एक निर्धारित दर पर विद्युत क्रय अनुबंध के द्वारा भवन के मालिक को विद्युत विक्रय करता हैं। सामान्य तौर पर यह दर ग्रिड से प्राप्त विद्युत दर से अत्यधिक कम होती हैं। रेस्को मॉडल योजना के अंतर्गत विकासक से 2.21 रु. प्रति युनिट दर से बिजली प्रात होगी। इस संचंत्र को स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय पर कोई आर्थिक भार नही आवेगा।

उपरोक्त कार्यवाही को उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र./218/24/सीसी./19/38, भोपाल दिनांक 22.04.2019 द्वारा अंगीकृत किया जा कर विश्वविद्यालयों में सोलर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया हैं।

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अनुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालयो ने उपरोक्त अनुबंध संपादित किये हैं-

1.	राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल	1 मेगावाट
2.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	600 किलोवाट
3.	देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इंदौर	670 किलोवाट
4.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	300 किलोवाट
5.	डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	670 किलोवाट
6.	महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन	100 किलोवाट
7.	अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा	200 किलोवाट

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के परिसर में उपरोक्त सौर ऊर्जा संयंत्र क्षमता 400 किलोवाट स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं। उपरोक्त कार्य हेतु शासन द्वारा अधिकृत ऐर्जेसी मुद्रा सोलर प्रा.लि. भोपाल से अनुबंध किया जाना हैं। इस हेतु विक्रम विश्वविद्यालय के विधिक सलाहकार श्री के.सी. शर्मा द्वारा भी सहमति दी गई हैं।

निरंतर....5.....

प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार की गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित संसाधनों से प्राप्त विद्युत ऊर्जा का उत्पादन योजना के अंतर्गत समस्त शासकीय विभागों के भवन एवं रिक्त भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षाा विभाग के पत्र क्र./218/24/सीसी./19/38, भोपाल दिनांक 22.04.2019 के अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के परिसर में **केवल भवनों के रिक्त छतों** पर सौर ऊर्जा संयंत्र क्षमता 400 किलोवाट स्थापित किये जाने हेतु शासन द्वारा अधिकृत ऐजेंसी मुद्रा सोलर प्रा.लि. भोपाल से अनुबंध किया जावे एवं तदनुसार आगामी कार्यवाही संपन्न की जाय।

(क्रियान्वयन-यांत्रिकी विभाग)

विषय क्रं.3 विक्रम विश्वविद्यालय में इन्टीग्रेटेड यूनिवर्सीटी मैनेजमेंट सिस्टम (IUMS) लागू किये जाने के संबंध में अद्यतन स्थिति।

टीप :-

1. समन्वय समिति की 93वीं बैठक दि. 25.10.2017 के विषय क्र. 5 पर लिये गये निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय को IUMS का कार्य विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत करने की सहमति दी गई थी।

2. विश्वविद्यालय द्वारा दि. 05.01.2018 को CQCCBS (Complete Quality cum Choice Based System) आधारित राज्य शासन/केन्द्रीय शासन/शासकीय उपक्रम द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति (द्वितीय आमंत्रण) हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया।

3. अंतिम दिनांक 29.01.2018 तक तीन कंपनियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। कंपनियों द्वारा दि. 19.02.2018 को समस्त विभागाध्यक्ष व समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया।

4. इसके पश्चात समिति द्वारा दिनांक 14.03.2018 एवं 21.03.2018 को IUMS के एप्लिकेशन का परीक्षण कार्य स्थल पर जाकर किया गया। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा CQCCB पद्धति द्वारा Request For Proposal (RFP) जारी किया गया।

5. इंटिग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम (IUMS) में 32 माड्यूल हैं -

1 प्रवेश पूर्व प्रबंधन 2 प्रवेश प्रबंधन 4 अकादमिक प्रबंधन 5 परीक्षा पूर्व कार्य प्रबंधन 6 परीक्षा पश्चात् कार्य प्रबंधन 7 परीक्षा परिणाम कार्य प्रबंधन 8 शुल्क प्रबंधन 9 विद्यार्थियों हेतु पोर्टल 10 वित्तिय प्रबंधन 11 देयक प्रबंधन12 डेवलेपमेंट ग्रांट प्रबंधन 13 संस्थापन 14 मानव संसाधन एवं वेतन 15 भण्डार एवं खरीदी प्रबंधन 16 छात्रावास प्रबंधन 17 प्लेसमेंट सर्विसेस 18 दीक्षान्त समारोह प्रबंधन 19 कुलपति, कुलसचिव एवं प्रशासनिक कार्यालय प्रबंधन 20 वि.वि. कर्मचारियों हेतु सेल्फ सर्विस पोर्टल 21 दस्तावेज गतिविधि एवं निरीक्षण 22 पत्र गतिविधि एवं निरीक्षण 23 पेंशन एवं जीपीएफ प्रबंधन 24 RTI प्रबंधन 25 लीगल सेल प्रबंधन 26 आवक जावक प्रबंधन 27 मॉनीटरिंग माड्यूल 28 पेपर सेंटिंग प्रबंधन 29 रिक्रूटमेंट प्रबंधन 30 संपत्ति एवं भूमि प्रबंधन 31 विद्यार्थी शिकायत निवारण प्रबंधन 32. विद्यार्थी सहायता प्रबंधन

6. विश्वविद्यालय की दिनांक 27.06.2018 की कार्यपरिषद् की बैठक के विषय क्र. 05 के अन्तर्गत कार्यपरिषद् द्वारा आइयूएमएस लागू करने हेतु शासकीय फर्म आईटीआई लि. नई दिल्ली, (केन्द्रिय शासन के उपक्रम) द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार राशि रू. 325/- प्रति छात्र मान्य किया गया।

निरंतर....6.....

7. विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया का पालन कर आईटीआई लि. नई दिल्ली, केन्द्रिय शासन के उपक्रम को विक्रम विश्वविद्यालय में IUMS लागू करने हेतु दिनांक 28.06.2018 को उक्त कार्य के लिये अनुबंध का प्रारूप प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

8. मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा दि. 02.07.18 को माननीय राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में राजभवन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा अवगत कराया कि टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, शीघ्र ही आदेश जारी किये जायेंगे। कुलाधिपतिजी द्वारा विक्रम विश्वविद्यलय को शेष विश्वविद्यालयों की भांति एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

9. एम.पी. ऑनलाईन भोपाल द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा की गई निविदा प्रक्रिया के दौरान सूचित किया गया था कि वे निविदा प्रक्रिया हेतु एवं इएमडी जमा करने के लिये अधिकृत नहीं हैं तथा एम.पी. ऑनलाईन, भोपाल द्वारा आरएफपी की अंतिम दिनांक तक अपना कोई प्रस्ताव (तकनीकी/वित्तिय) भी प्रस्तुत नहीं किया गया।6 विश्वविद्यालय की दिनांक 27.06.2018 की कार्यपरिषद की बैठक के विशय क्र. 05 के अन्तर्गत कार्यपरिषद् द्वारा आइयूएमएस लागू करने हेतु शासकीय फर्म आईटीआई लि. नई दिल्ली, (केन्द्रिय शासन के उपक्रम) द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार राशि रू.325/- प्रति छात्र मान्य किया गया।

7. विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया का पालन कर आईटीआई लि. नई दिल्ली, केन्द्रिय शासन के उपक्रम को विक्रम विश्वविद्यालय में IUMS लागू करने हेतु दिनांक 28.06.2018 को उक्त कार्य के लिये अनुबंध का प्रारूप प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

8. मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा दि. 02.07.18 को माननीय राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में राजभवन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा अवगत कराया कि टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, शीघ्र ही आदेश जारी किये जायेंगे। कुलाधिपतिजी द्वारा विक्रम विश्वविद्यलय को शेष विश्वविद्यालयों की भांति एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

9. एम.पी. ऑनलाईन भोपाल द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा की गई निविदा प्रक्रिया के दौरान सूचित किया गया था कि वे निविदा प्रक्रिया हेतु एवं इएमडी जमा करने के लिये अधिकश्त नहीं हैं तथा एम.पी. ऑनलाईन, भोपाल द्वारा आरएफपी की अंतिम दिनांक तक अपना कोई प्रस्ताव (तकनीकी/वित्तिय) भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

10. विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 96वीं बैठक दिनांक 23.02.2019 में आइयूएमएस की प्रगति के संबंध में माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि:-

"जिन विश्वविद्यालयों द्वारा टेंडर की कार्यवाही नहीं की गई है वे पृथक से टेंडर ना कर के अन्य ऐसे विश्वविद्यालय जिन्होंने टेंडर की कार्यवाही पूर्ण कर ली हो उन विश्वविद्यालयों से संपर्क कर प्राप्त करें।"

11. विश्वविद्यालय द्वारा आईयूएमएस लागू करने के लिये टेंडर प्रक्रिया दि. 27.06.2018 को पूर्ण की जा चुकी है।

निरंतर....7.....

12. विक्रम विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.01.2019 में निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित शासकीय फर्म आईटीआई लि. नई दिल्ली, (केन्द्रिय शासन के उपक्रम) से समझौते का आलेख (एम.ओ.यू.) किया जाए, जिससे छात्रहित एवं महाविद्यालयों में असुविधा ना हो एवं डिजीटाईज ऑफिस के लिये कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सके।

13. उपरोक्त निर्णय के परिपालन में अनुमोदित शासकीय फर्म आईटीआई लि. नई दिल्ली, (केन्द्रिय शासन के उपक्रम) को एमओयू किये जाने के संबंध में पुनः पत्र क्रम. भंडार/2019/869 दि. 01.06.2019 प्रेषित किया गया।

14. मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रं. 196/79/सीसी/19/38 दि. 04.04.2019 द्वारा निर्देशित किया गया कि आइयूएमएस के संबंध में विक्रम विश्वविद्यालय म.प्र. भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें।

15. दिनांक 14.06.2019 को उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता एवं अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग, विधि अधिकारी राजभवन, आयुक्त उच्च शिक्षा एवं अपर आयुक्त उच्च शिक्षा की उपस्थिति में बैठक में निर्णय लिया गया कि "सभी विश्वविद्यालय दो माह में आइयूएमएस संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।"

16.उपरोक्त निर्णय के परिपालन में एमओयू के प्रारूप के परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आदेश क्रं./भंडार/2019/899 दि. 6.07.2019 द्वारा विषय विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा इस संबंध में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में आइयूएमएस के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी चाही गई थी।

17. उक्त जानकारी में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में आइयूएमएस संबंधी कार्य एमपी ऑनलाईन से कराने की सैद्धान्तिक सहमति दी गई है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कार्यवाही, आदेश बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा पारित नहीं किया गया।

विक्रम विश्वविद्यालय में इन्टीग्रेटेड यूनिवर्सीटी मैनेजमेंट सिस्टम (IUMS) लागू किये जाने के संबंध में अद्यतन जानकारी कार्यपरिषद् के सम्मुख प्रस्तुत। आइयूएमएस की आगामी प्रक्रिया हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय निर्णय लिया गया कि समन्वय समिति के निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही का संज्ञान लिया गया। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.6.2018 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 23.1.2019 के निर्णय अनुसार अनुमोदित शासकीय फर्म आईटीआई लि. नई दिल्ली, (केन्द्रीय शासन के उपक्रम) से समझोते का आलेख (एमओयू) किये जाने हेतु निर्धारित नियमों के अनुरूप तथा समन्वय समिति की 96वीं बैठक दिनांक 23.02.2019 के विषय क्रमांक 12 में लिये गये निर्णय के तारतम्य में विश्वविद्यालय छात्रों के व्यापक हित में विशेषज्ञों की समिति का गठन कर MOU का परीक्षण किया जाये।

(क्रियान्वयन-विकास विभाग)

निरंतर....8.....

विषय क्रं.4 विक्रम विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में संचालित सीबीसीएस स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये स्पेशल एटीकेटी परीक्षा का आयोजन।

टीप :- विक्रम विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में सीबीसीएस पद्धति से प्रथम बार विद्यार्थी उपाधि की अंतिम परीक्षा में बैठे हैं। अध्यादेश का प्रावधान निम्नानुसार है :-

Ordinance 14 C.B.C.S

10.7 *"If a student obtains F of Ab Grade in any course, he/she will be treated to have failed in the course. He/She has to reappear in the examinations of the course as and when conducted or arranged by the UTD."*

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक 2112/300/सीसी/16/38 भोपाल दि. 09.08.2016 के अनुसार समन्वय समिति की 91वीं बैठक दि. 20.06.2016 में लिये गये निर्णयानुसार स्थायी समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए स्नातक स्तर पर पंचम एवं षष्ठम व स्नातकोत्तर स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में एटीकेटी/विशेष परीक्षा कराई जाना प्रावधानित है।

अतः विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में अध्ययनरत स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये क्रमशः पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर तथा तृतीय एवं द्वितीय सेमेस्टर की स्पेशल एटीकेटी की परीक्षा का आयोजन किये जाने हेतु।

प्रकरण कार्यपरिषद् में विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में तदनुसार विशेष परीक्षा आयोजित की जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(क्रियान्वयन-छात्र कल्याण विभाग)

विषय क्रं.5 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 से बढ़ाकर 300 करने पर विचार।

टीप :- म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दि. 06 अगस्त, 2018 के अनुसार शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिवस की गई (दिनांक 1.7.2018 से प्रभावशील) तद्नुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस से बढ़ाकर 300 दिवस करने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय निर्णय लिया गया कि म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दि. 06 अगस्त, 2018 के अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कार्यरत शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को शासकीय सेवकों के अनुरूप अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिवस (दिनांक 1.7.2018 से प्रभावशील) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

निरंतर....9.....

विषय क्र.6 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अतिथि विद्वानों के आमंत्रण संबंधी।

टीप :- विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की विभिन्न अध्ययनशालाओं/संस्थानों में अध्यापन कार्यो को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अतिथि विद्वानों को आमंत्रण कर अध्यापन कार्य करवाए जाने के संबंध में प्रस्तुत है कि, विश्वविद्यालय में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के अंतरिम स्थगन आदेश के तहत 46 अतिथि विद्वान कार्यरत है। शैक्षणिक सत्र 2018-19 दिनांक 31 मई, 2019 को समाप्त हो चुका है। आगामी शैक्षणिक सत्र 2019-20 1 जुलाई, 2019 से प्रारंभ हो गया है।

विभागाध्यक्षों/निदेशको के द्वारा अतिथि विद्वानों के आमंत्रण करने हेतु अनुशंसा/मांग की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर में दायर वाद क्रमांक 11055 में दिए गए निर्णयानुसार आगामी अतिथि विद्वानों के आमंत्रण हेतु विज्ञापन जारी करने की कार्यवाही नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया है।

शैक्षणिक सत्र 2018-19 में विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशाला/संस्थान में शैक्षणिक आवश्यकतानुसार स्वीकृत पदों के विरुद्व संविदा/अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किये जाने पर विचार हेतु कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 13.12.2018 में प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग,भोपाल द्वारा जारी परिपत्र/नियम को संग्राहय किया जावे। शैक्षणिक सत्र 2018-19 में विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं/संस्थान में शैक्षणिक आवश्यकतानुसार स्वीकृत पदों के विरुद्व संविदा/अतिथि विद्वानों के चयन/संयोजन की प्रक्रिया म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश-निर्देश अनुसार सम्पन्न की जावे। माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पूर्वानुसार दरों से मानदेय का भुगतान किया जावेगा। नई चयन प्रक्रिया से संयोजित अतिथि विद्वानों को म.प्र. शासन के नियमानुसार मानदेय का भुगतान की कार्यवाही की जाए।

आवासीय सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, वि.वि., उज्जैन द्वारा पत्र दि. 9.5.19 के द्वारा अतिथि विद्वानों की नियुक्ति एवं भुगतान के संबंध में अनियमितता के संबंध में आपत्ति ली गई जिसका प्रतिउत्तर कार्यालयीन पत्र क्रं./प्रशासन/संस्थापन/2019/710, दि. 21.5.2019 को प्रेषित किया गया।

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रं. 969/उफ-1-9/2016/38-1 भोपाल, दिनांक 8.8.2016 के तारतम्य में वि.वि. द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर अतिथि विद्वान के रूपये 275 प्रति कालखण्ड अधिकतम रूपये 825 प्रति कार्यदिवस दिया जा रहा है। म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रं. एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल, दि. 26.6.2018 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध प्रति कालखण्ड मानदेय के आधार पर प्रतिवर्ष अतिथि विद्वानों को 11 माह हेतु आमंत्रण देने की नीति अन्तर्गत वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष की कालावधि के लिए प्रति कालखण्ड के स्थान

निरंतर....10.....

पर दैनिक मानदेय का निर्धारण करते हुए एक न्यूनतम निश्चित मानदेय के आधार पर आमंत्रण दिया जाने संबंधी आदेश प्रसारित किया गया है। उक्त परिपत्र में बिन्दु क्रं. 6 एवं 7 की पूर्ति किए जाने पर मानदेय रू. 1500/- प्रति दिवस एवं मासिक मानदेय न्यूनतम रूपये 30000/' (रूपये तीस हजार) के भुगतान की पात्रता निर्धारित है।

प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय निर्णय लिया गया कि म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रं. एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल, दि. 26.6.2018 को अंगीकृत किया जाकर उक्त परिपत्र में बिन्दु क्रं. 6 एवं 7 की पूर्ति किए जाने पर अतिथि विद्वानों को मानदेय रू. 1500/- प्रति दिवस एवं मासिक मानदेय न्यूनतम रूपये 30000/' (रूपये तीस हजार) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.7 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अतिथि विद्वानों के आमंत्रण करने संबंधी।

टीप :- विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययनशालाओं के विभागाध्यक्षों के द्वारा अतिथि विद्वानों को शैक्षणिक सत्र 2019-20 प्रारंभ होने के कारण पुनः अध्यापन कार्य करवाने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन/अनुशंसा की है उक्त पत्रों/पत्रावलियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं	अ.शा. का नाम	संख्या	क्रं.	अ.शा. का नाम	संख्या
1.	भौमिकी अध्ययनशाला	-05	2.	पुस्तकालय विज्ञान अ.शा.	-01
3.	अर्थशास्त्र अध्ययनशाला	-03	4.	संस्कृत अध्ययनशाला	-03
5.	ज्योर्तिविज्ञान अ.शा.	-02	6.	प्राणिकी अध्ययनशाला	-07
7.	प्रा.भा.ई.सं.एवं पुरा अ.शा.	-06	8.	रसायन अध्ययनशाला	-04
9.	पर्यावरण प्रंबंधन अ.शा.	-02	10.	समाजशास्त्र अ.शा.	-03
11.	गणित अध्ययनशाला	-02	12.	वाणिज्य अध्ययनशाला	-08
13.	विदेशी भाषा अध्ययनशाला	-02	14.	सांख्यिकी अध्ययनशाला	-01
15.	हिन्दी अध्ययनशाला	-01	16.	दर्शनशास्त्र अ.शा.	-03
17.	वनस्पति अध्ययनशाला	-02	18.	फार्मेसी संस्थान	-06
19.	कम्प्यूटर विज्ञान अ.शा.	-07	20.	भौतिकी अ.शा.	-04
21.	एसओईटी संस्थान	-27	22.	राज.वि.एवं लोक प्रशा.अ.शा.	-05

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल के समस्त क्षैत्रिय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म.प्र. एवं प्राचार्य समस्त शासकीय महाविद्यालय म.प्र. को संबोधित पत्र क्र.1274/548/आउशि/शा-2/2019 दिनांक 01.07.2019 अवलोकनार्थ प्रस्तुत। जिसमें स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वानों को दिनांक 1.07.2019 से 12 माह अथवा माननीय न्यायालय के निर्णय के परिपालन में पदस्थापना/नियमित

निरंतर....11.....

नियुक्ति होने तक आमंत्रित किये जाने के निर्देश है। यह भी पत्र में उल्लेखित है कि आमंत्रण पत्र उन अतिथि विद्वानों को ही जारी किया जाए जो उक्त रिक्त पद के विरूद्ध वर्ष 2018-2019 में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे।

अतः शैक्षणिक सत्र 2019-20 में विभागाध्यक्षों द्वारा की गई मांग एंव अनुशंसा के अनुक्रम में एवं माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में पूर्व से कार्यरत अतिथि विद्वानों तथा शैक्षणिक सत्र 2018-19 में आमंत्रित किये गये 09 अतिथि विद्वानों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में दायर वाद क्रमांक 11055/2019 में दिये गये निर्णय के परिपालन में उक्त अतिथि विद्वानों को अध्यापन हेतु आमंत्रण करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय निर्णय लिया गया कि आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश सतपुडा भवन, भोपाल के पत्र क्र. 1274/548/आउशि/शा-2/2019 दिनांक 01.07.2019 के अनुसार पदस्थापना आगामी शिक्षक चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अध्यधीन,संबंधित विभागाध्यक्षों की अनुशंसा के आधार पर अथवा 12 माह की अवधि जो भी कम हो, केवल पूर्व से कार्यरत अतिथि विद्वानों को आवश्यकतानुसार कार्य-निष्पादन हेतु आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्ष ऐसे अतिथि विद्वानों का प्रत्येक माह किये गए कार्य का आकलन कर प्रतिवेदन/अनुशंसा मानदेय भुगतान के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करेंगे।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.8 विश्वविद्यालय एवं फर्म के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र 27.11.2017 के प्रावधानान्तर्गत संबंधित फर्म इमर्ज डाटा सर्विसेज प्रा.लि.नागपुर से आगामी अवधि हेतु सम्पन्न किये गये कार्य के अनुमोदन प्रक्रिया के अनुमोदन हेतु।

टीप :- विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात गोपनीय कार्य हेतु ईमेंज डाटा सर्विसेज प्रा. लि. नागपुर को कार्यदेश जारी किया गया। अनुबंध पत्र दिनांक 27/11/2017 की कंडिका (1.9) के अनुसार उक्त कार्य सत्र 2017-18 के लिये फर्म को कार्य आदेश प्रदान किया गया था एवं अनुबंध की शर्त के अनुसार पक्ष क्र 1 के द्वारा पक्ष क्र. 2 के कार्य को संतोषजनक पाया जाता है तो दोनो पक्षों की सहमति से इस अनुबंध पत्र की अवधि को आगामी एक वर्ष (2018-19) की अवधि के लिये आगे बढ़या जा सकेगा।

अतः उक्त अनुसार अनुबंध पत्र में निहित प्रावधान के अंतर्गत दोनो पक्षों की आपसी सहमति से उक्त कार्य को अधिकतम एक अतिरिक्त वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जिसकी समयावधि 26/11/2019 होगी।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में फर्म से प्राप्त पत्र के अनुसार फर्म ने पूर्व दरों पर अनुबंध दिनांक 27/11/17 की शर्त एवं प्रावधान के अनुसार आगे कार्य किये जाने के लिए अपनी सहमति दिनांक 26/11/18 को प्रस्तुत की।

चूंकि उक्त कालावधि में म. प्र. विधानसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील थी अतः चुनाव आचार संहिता के चलते नवीन कार्य आदेश एवं नवीन अनुबंध किया जाना संभव नही था। तत्समय विषम सेमेस्टर की परीक्षा प्रक्रिया अनवरत प्रचलन में होने से फर्म की सहमति के आधार पर समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कैलेन्डर के अनुसार प्रचलित परीक्षाओं का परीक्षा पूर्व, परीक्षा पश्चात कार्य अनुबंध पत्र दिनांक 27/11/2017 में अर्न्तनिहित प्रावधानों के अन्तर्गत निरंतर किया गया।

प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निरंतर....12.....

निर्णय कार्यपरिषद् प्रकरण की सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत हुई कि संबंधित फर्म से अनुबंध समाप्त होने के समय आदर्श निर्वाचन आचार संहिता प्रभावशील थी तथा उक्त समय में विश्वविद्यालय की परीक्षाए संचालित हो रही थी। आदर्श आचार संहिता के दौरान नवीन अनुबंध/कार्यादेश जारी नहीं किया जा सकता था। अतः छात्रों के व्यापक हित का संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा फर्म की सहमति के आधार पर परीक्षा पूर्व/परीक्षा पश्चात का कार्य करवाया गया।

अतः प्रकरण पर समग्र विचार उपरान्त निर्णय लिया गया कि, इमर्ज डाटा सर्विसेस प्रा.लि. नागपुर से टेंडर शर्तो के प्रावधान में अर्न्तनिहित उपबन्ध के आधार पर परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात कार्य पूर्व से स्वीकृत दरों पर करवाने की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जावे।

(क्रियान्वयन-परीक्षा विभाग)

विषय क्रं.9 विश्वविद्यालय की वर्ष-2019-20 की विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले परीक्षार्थियों के प्रकरण पर विचार करने हेतु विश्वविद्यालयीन अध्यादेश क्रमांक-05 के कंडिका क्रमांक 21 (6-ए) के प्रावधान के अनुसार कार्य परिषद द्वारा समिति का गठन एक वर्ष के लिये किया जाना है। वर्ष-2019-20 की परीक्षा हेतु कार्यपरिषद् द्वारा गठित अनुचित साधन प्रकरण समिति का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है ।

टीप :- उपर्युक्त प्रकरण में तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा नई समिति का गठन प्रस्तावित किया गया है -

1- कार्यपरिषद् सदस्य -एक प्रो. एच. पी. सिंह, सांख्यिकी अ.शाला,वि0वि0, उज्जैन
2- संकायाध्यक्षों में से -एक प्रो. शुभा जैन, रसायन अ.शाला,वि0वि0, उज्जैन
3- विद्यापरिषद् के शिक्षक सदस्यों में से -एक डॉ. के. एन. सिंह , भौमिकी अ.शाला,वि0वि0, उज्जैन
4- प्राचार्य सदस्य -दो डॉ. आर सी जाटवा, शा. संस्कृत महा., उज्जैन
प्राचार्य, डॉ. महेश शर्मा, शा. कालिदास कन्या महा.,उज्जैन
5- अध्ययन बोर्ड में मनोनीत छात्र में से -एक .....
6- कुलसचिव- पदेन

उक्त समिति के अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय निर्णय लिया गया कि कार्य-परिषद् की ओर से माननीय कुलपतिजी को समिति के मनोनयन हेतु अधिकृत किया जाता है।

(क्रियान्वयन-गोपनीय विभाग)

विषय क्रं.10 सत्र 2019-2020 में अध्ययनशाला के विद्यार्थियों के लिये प्रोत्साहन योजना।

टीप :- (अ) विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क की 50 प्रतिशत राशि को प्रोत्साहन स्वरूप वापस किया जाएगा।

(अ) अध्ययनशालाओं के गरीब बच्चों की प्रवेश शुल्क की मुक्ति प्रदाज करने के संबंध में निम्ननानुसार अर्हताऐं होगी।

(अ) कमजोर आय वर्ग के छात्रों को परीक्षा शुल्क में सहायता प्रदान करने के संबंध में निम्नानुसार अर्हताएं होगी।

उक्त के संबंध में नियमावली संलग्न है।

निरंतर....13.....

इस संबंध में जारी की जाने अधिसूचना कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय निर्णय लिया गया कि प्रोत्साहन योजना की अधिसूचना की सूचना ग्राहय की जाती है। यह भी निर्णय लिया गया कि अर्हता हेतु अध्ययनरत छात्र/छात्रा की उपस्थिति की सीमा न्यूनतम 80 प्रतिशत निर्धारित करते हुए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन–छात्र कल्याण विभाग)

विषय क्रं.11 शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों से लिये जाने वाले नवीन/संशोधित सम्बद्धता शुल्क का निर्धारण करने हेतु गठित समिति से प्राप्त प्रस्तावित शुल्क तालिका के अनुमोदन पर विचार।

टीप :– विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन के क्षेत्रान्तर्गत,संचालित शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों से लिये जाने वाले, नवीन महाविद्यालय की सम्बद्धता/ नवीन संकाय/नवीन विषय/उत्तरवर्ती कक्षा/पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता–निरन्तरता/स्थाई सम्बद्धता/सीट वृद्धि हेतु आगामी सत्र से नवीन/संशोधित शुल्क निर्धारण हेतु गठित समित की बैठक दिनांक 05.07.2019 में, की गई अनुशंसा एवं प्रस्तावित नवीन/संशोधित शुल्क के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित संम्बद्धता निरन्तरता शुल्क के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम अनुसार शुल्क निर्धारण किया जावे एवं प्रति सीट शुल्क पुर्ननिर्धारित करते हुए प्रस्ताव आगामी कार्य–परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(क्रियान्नयन–अकादमिक/सम्बद्धता विभाग विभाग)

विषय क्रं.12 डॉ. मनोहर दलाल के संबंध में गठित ट्रिब्यूनल माननीय सदस्यगण द्वारा पारित आदेश के संबंध में विचारार्थ प्रस्ताव।

टीप :– डॉ. मनोहर दलाल के प्रकरण में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2016 में पद क्र. 21 में किए गए।

1. श्री शशी मोहन श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, उज्जैन।
2. श्री लाल सिंह भाटी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, इन्दौर।
3. श्री एस.एन. द्विवेदी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, इन्दौर।

उक्त न्यायाधिकरण की बैठक दिनांक 23.06.2017 में न्यायाधिकरण द्वारा गठित प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में दिए गए दिशा–निर्देश के तारतम्य में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.07.2017 के द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :– निर्णय लिया गया कि डॉ. मनोहर दलाल प्रकरण में माननीय सर्वोच्य न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन में कार्यपरिषद् द्वारा न्यायाधीकरण का गठन किया जा चुका है। श्री मनोहर दलाल द्वारा गठित न्यायाधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत किये गए अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में न्यायाधिकरण की बैठक दिनांक 23.06.2017 में न्यायाधिकरण द्वारा गठन प्रक्रिया में सदस्यगणों में नियुक्ति एवं नाम निर्देशनन बाबत् निर्णय लेने के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil appeal No./2972/1980 में प्रदान किये गये निर्णय में समिति के गठन बाबत् अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा निवेदन किये जाने पर न्यायाधिकरण के गठन का आदेश प्रदान किया था अनुबंध के अनुसार गठन निम्नानुसार परिभाषित है :-

निरंतर....14.....

1. एक कार्यपरिषद् से नामांकित सदस्य
2. एक सभा (court) द्वारा नामित सदस्य
3. एक इंडिपेंडेंट सदस्य कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्देशित जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रैंक के समकक्ष हो।

विश्वविद्यालय सभा (court) की बैठक आयोजित की जाकर सभा के द्वारा सदस्य का नाम निर्देशन प्राप्त किया जावें। न्यायाधिकरण के अन्य सदस्यगणों के नाम निर्देशन/समायोजन हेतु माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया जाता है।''

उक्त के तारतम्य में विश्वविद्यालय के पत्र क्रं./प्रशा./संस्था./2019/4362 दिनांक 24.01.2019 के द्वारा निम्नानुसार तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन किया गया।

1. श्री सुभाष संवत्सर, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, इन्दौर।
2. श्री के.सी. शर्मा, सेवानिवृत्त जिला न्यायधीश, उज्जैन।
3. श्री एस.एन.द्विवेदी सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश इन्दौर।

उपरोक्त विषय में डॉ. मनोहर दलाल के प्रकरण में संबंध में गठित ट्रिब्यूनल की बैठक के पश्चात् दिनांक 15.06.2019 को ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय निर्णय लिया गया कि न्यायाधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना ग्रहण की गयी एवं तदनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन–प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.13 श्री संतोष धाकड उच्च श्रेणी लिपिक 1, कुलसचिव कार्यालय को ब्रेन ट्यूमर (Residul tumor) गंभीर बीमारी के आपरेशन एवं रेडियेशन थैरेपी में हुए चिकित्सा व्यय रूपये 6,96,267/- की प्रतिपूर्ति हेतु।

टीप :- श्री संतोष धाकड उच्च श्रेणी लिपिक 1, कुलसचिव कार्यालय के द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 25.06.2019 में उन्होंने ब्रेन ट्यूमर (Residul tumor) गंभीर बीमारी होने के कारण उसका आपरेशन दिनांक 10.05.2019 को कराया गया उसके पश्चात रेडियेशन थैरेपी करायी गई जिसमें चिकित्सा व्यय रूपये 6,96,267/- की प्रतिपूर्ति हेतु निवेदन किया है।

उक्त संदर्भ में प्रस्तुत है कि म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रं. डी/3002/3366/98/सी -3/38, भोपाल दिनांक 17.09.98 द्वारा गंभीर बीमारी में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 55वीं बैठक दिनांक 8 मार्च,1997 और 58वीं बैठक दिनांक 3.06.1998 में लिए गए निर्णय अनुसार हृदय बायपास सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, डायलेसिस जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हास्पिटिलाईजेशन पर होने वाले व्यय की पूर्ति समस्त विश्वविद्यालय द्वारा उन्हीं शर्तो एवं नियमों के अनुसार की जाए जो कि राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

विक्रम विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.01.2006 में मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रं. 18-58/2000/1/पचपन भोपाल दिनांक 14.06.2005 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदेश को अंगीकृत किया गया।

निरंतर....15.....

जिसमें निम्नानुसार बीमारी की प्रतिपूर्ति राशि का उल्लेख किया गया है:-

1.	एंजोग्राफी	-	15000/-
2.	हृदय रोग	-	2,50000/-
3.	किडनी प्रत्यारोपण	-	4,00000/-
4.	न्यूरो सर्जरी /न्युरोलाजी	-	3,00000/-
5.	केंसर रोग	-	4,00000/-
6.	कोकलीयर इम्प्लांट	-	5,20,000/-
7.	लीवर ट्रांसप्लाट/हिप रिप्लेसमेंट-(हड्डी रोग)	-	4,00000/-

श्री संतोष धाकड द्वारा ब्रेन ट्यूमर गंभीर बीमारी में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निवेदन किया है। जिसको उन्होने न्यूरोसर्जरी डिस्चार्ज कार्ड एवं ब्रेन सर्जरी (Residul tumor) रेडियेशन थैरेपी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया है। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.9.98 के निर्णयानुसार आदेश क्रं./प्रशा./संस्था./98/2082 दिनांक 16.10.98 में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मान्य की गई है तथा ब्रेन ट्यूमर जेसी गंभीर बीमारी पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन शर्तो एवं नियम के अनुसार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रं./प्रशा/संस्था/2019/795 दिनांक 27.06.2019 द्वारा क्षेत्रिय संवालक स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन को श्री संतोष धाकड के चिकित्सा देयक गंभीर बीमारी के परिप्रेक्ष्य में अभिमत प्रदान करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जिसके प्रति उत्तर में कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन से प्राप्त पत्र क्रं./का.स्वी/2019/2664 उज्जैन दिनांक 05.07.2019 द्वारा उन्होने सूचित किया है कि इस समिति को विश्वविद्यालय, कृषि उपज मंडी, बोर्ड, निगम मण्डल, प्राधिकरण व अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों के देयक पारित करने के अधिकार नहीं है।

विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 16.10.1998 के अनुसार श्री संतोष धाकड उच्च श्रेणी लिपिक 1, कुलसचिव कार्यालय ब्रेन ट्यूमर (Residul tumor)गंभीर बीमारी की श्रेणी में आता है।

अतः श्री संतोष धाकड उच्च श्रेणी लिपिक 1,कुलसचिव कार्यालय ब्रेनट्यूमर (Residul tumor) गंभीर बीमारी के आपरेशन एवं रेडियेशन थैरेपी में हुए चिकित्सा व्यय रूपये 6,96,267/- की प्रतिपूर्ति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ।

निर्णय निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के संबंध में अधिष्ठाता, महात्मा गांधी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर से बीमारियों की गंभीरता पर अभिमत प्राप्त कर तदनुसार भुगतान की कार्यवाही की जाए।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.14 श्री भास्कर तेंलग ल.श्रे.लि. के निलंबन बहाली आदेश क्रं/प्रशा./संस्था./2018/2148 दिनांक 03.02.2018 के द्वारा एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के विरुद्ध अपील दिनांक 27.02.2018 कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

टीप :- श्री भास्कर तेंलग ल.श्रे.लि. परीक्षा विभाग, को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 07.02.2017 को 22वाँ दीक्षांत समरोह में वितरित की जाने वाली विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपाधियों को

निरंतर....16.....

चेक/परीक्षण करने हेतु नियुक्त किया गया था, परन्तु उनके द्वारा दीक्षांत समारोह में वितरित की जाने वाली उपाधियों को लापरवाही से चेक/परीक्षण किया गया जिसके कारण उपाधियों में त्रुंटि होना पाई गई। उन्होने सोपे गये कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण विश्वविद्यालय परिनियम 31 की धारा 56 (1) ए के अतर्गत कार्यालीयन आदेश क्रं./प्रशा./संस्था./2017/534 दिनांक07.06.2017 के द्वारा निलंबित किया गया।

श्री भास्कर तेंलग के निलबंन की जांच हेतु जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पर समक्ष अधिकारी द्वारा संचयी प्रभाव से वेतनवश्द्धि रोकते हुए निलंबन से बहाल किया गया।

श्री भास्कर तेंलग द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन दिनांक 27.2.18 सूचित किया है कि उनके मूल विभाग गोपनीय के साथ-साथ 22वें दीक्षांत समारोह के समाप्त होने तक उनकी सेवाएं उपाधि विभाग में संयोजित की गई थी। दीक्षांत में वितरित होने वाली उपाधीयों में आंषिक त्रुटियां के कारण श्री मुकेश डाबी एवं श्री भास्कर तेंलग को निलंबित किया गया था। दोनो के निलंबन पर गठित जांच समिति की अनुशंसा एक समान होकर श्री मुकेश डाबी को दण्ड स्वरूप एक वेतनवश्द्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए निलंबन बहाल किया गया जबकी उन्हें दण्ड स्वरूप संचयी प्रभाव से रोकते हुए निलंबन बहाल किया गया। अतः उन्होने अपील में निवेदन किया है कि उनकी वेतनवश्द्धि रोके जाने संबंधी आदेश निरस्त करने तथा शेष वेतन भुगतान किया जाए।

परिनियम 31की धारा 55 (1) के अन्तर्गत पेनेल्टी(दण्ड) के विरूद्ध कार्यपरिषद् के समक्ष अपील किये जाने प्रावधान है।

श्री भास्कर तेंलग द्वारा प्रस्तुत अपील पर विधिक राय ली गई। प्राप्त विधिक राय अनुसार -" न्याय का यह सामान्य नियम है कि जहां प्रकरण समान हो किये जाने वाले अपराध की प्रकषति समान हो आक्षेप समान हो तब ऐसी स्थिति में दण्डाज्ञा भी समान रूप से ही दी जाना चाहिये जब तक की कोई अन्य कारण ना हो कर्मचारी को विभागीय जांच में दण्डाज्ञा देते समय उसके पिछले समय के कार्य, व्यवहार, आचरण इत्यादी सभी बातों को ध्यान में रखकर दण्डादेश प्रदान किया जाता है। श्री भास्कर तेंलग एवं श्री मुकेया डाबी के विरूद्ध लगाये गये आरोप तो समान हैं परन्तु असमान दण्डाज्ञा देते समय इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि भास्कर तेंलग को संचयी प्रभाव से रोके जाने की दण्डाज्ञा क्यों प्रदान की गई है। अतः इस प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए श्री भास्कर तेंलग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकर किये जाने योग्य है। अतः स्वीकार की जा सकती है।"

प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय निर्णय लिया गया कि श्री मुकेश डाबी के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गयी दण्डाज्ञा के अनुसार,श्री भास्कर तेलंग के लिये एक समान दण्डाज्ञा निर्धारित करने का निर्णय लिया गया ।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

निरंतर....17.....

विषय क्रं.15 श्री विष्णु सक्सेना, सिस्टम एनालिस्ट, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 59 (2) में अपील, कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ।

टीप :- श्री विष्णु सक्सेना, सिस्टम एनालिस्ट, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर दीक्षांत समारोह दि. 30.6.2018 के अपलोड होने एवं आदर्श आचार संहिता लागू होने बाद भी उक्त फोटों में से उज्जैन विधानसभा 2018 के निर्वाचन हेतु दो प्रत्याशियों के फोटो विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड फोटो नहीं हटाने को चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन मानते हुए उक्त कृत्य लापरवाही की श्रेणी में आने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय परिनियम 31 के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि अंसचयी प्रभाव से रोकने संबंधी आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2018/3983, दि. 26.11.18 जारी किया गया।

श्री विष्णु सक्सेना द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 59(2) के तहत उक्त आदेश के संबंध में अपील प्रस्तुत की गई।

विश्वविद्यालय परिनियम परिनियम 31 के बिन्दु क्रं. 55(1) में निम्नानुसार उल्लेख है :-

"Where any panalty is imposed on an emplyee by the Registrar. The employee concerned may prefer an appeal to the E.C. with in thirty days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant."

श्री सक्सेना द्वारा प्रस्तुत अपील पर प्राप्त विधिक अभिमत लिया गया जिसका अंतिम पैरा निम्नानुसार है :- "इस प्रकरण में इस संबंध में विवाद की कोई स्थिति नहीं है, कि श्री सक्सेना को शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व कोई कारण बताओ सूचना पत्र जारी नहीं किया गया था। लघुशास्ति अधिरोपित करने के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसका पालन नहीं किया गया है। अतः यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होती है। प्रशासन चाहे तो वह प्रक्रिया का पालन करते हुए श्री सक्सेना को पुनः कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सकता है तथा उनका स्पष्टीकरण आने के बाद उस पर विचार कर उचित निर्णय लिया जा सकता है।"

प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्राप्त विधिक अभिमत के अनुसार श्री सक्सेना को कारण बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया जाय।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.16 श्री राजेश जायसवाल ल.श्रे.लि को 40 वर्ष पूर्ण होने पर शासन के नियमानुसार हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा में छूट प्रदान करते हुए वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करने हेतु।

टीप :- श्री राजेश जायसवाल पुत्र स्व.श्री शंकर लाल जायसवाल को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.07.2014 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के आदेश क्र./प्रशा./संस्था./2014/798 दिनांक 26.07.2014 द्वारा ल.श्रे.लि. के पद पर अनुकंम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की गई, कि उन्हें हिन्दी मुद्रलेखन एवं कम्पयूटर ज्ञान होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

निरंतर....18.....

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक/सी-3-07/ 2000/3/एक भोपाल दिनांक 22 जनवरी,2007 के बिन्दू क्रमांक 6.05 मे उल्लेख किया है :-'' दिवंगत शासकीय सेवक की धर्मपत्नि के लिए सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने एंव कम्प्यूटर संचालन के ज्ञान के लिए तीन वर्ष का समय दिया जायेगा तथा अन्य आश्रितों के लिए एक वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई है''। वर्तमान में हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा का संचालन नही हो रहा है।

श्री जायसवाल के द्वारा वर्ष 2011 में सूचना एवं तकनीकी संसाधन केन्द्र देवास मध्यप्रदेश का कम्पयुटर ज्ञान होने संबधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है। श्री राजेश जायसवाल द्वारा दिनांक 03.12.2017 को 40वर्ष की आयु पुर्ण कर चुके है।''मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार यदि ऐसे लिपिको की 40वर्ष की आयु पुर्ण हो जायें तो उन्हें हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की छुट का प्रावधान हैं।''

अतः श्री राजेश जायसवाल को 40 वर्ष की आयु पुर्ण हो जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन के उपरोक्त नियमानुसार एवं उनके द्वारा कम्पयुटर ज्ञान संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के अवुक्रम में उक्त शासन के नियम एवं नियुक्ति शर्त अनुसार वार्षिक वेतनवद्धि प्रदान दिए जाने हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अमान्य किया जाय;

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.17 श्री कुमेर सिंह मकवाना, के दैनिक वेतन भोगी से स्थाईकर्मी बनाए जाने के संबंध में अंकेक्षण विभाग द्वारा ली गई आपत्ति पर कार्यपरिषद के समक्ष विचार।

टीप :- म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अर्न्तगत संचालित विश्वविद्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी के लिए स्थाईकर्मी घोषित करने विषयक आदेश क्रं.एफ73-13/2017/38-3 भोपाल, दि. 27.4.18 के परिपत्र अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रं. एफ-5-1/2013/1/3 दिनांक 7.10.16 के अन्तर्गत म.प्र. शासन के समस्त विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थाईकर्मी घोषित किए जाने के निर्देश को म.प्र. में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त विश्वविद्यालयों में लागू किया जाना है तदनुसार विक्रम विश्वविद्यालय भें दैनिक वेतन भोगियों को स्थाईकर्मी की श्रेणी एवं वेतन प्रदान करने के लिए गठित समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रं./प्रशासन/संस्थापन/2018/7174, दिनांक 10.7.18 के द्वारा कुल 56 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाईकर्मी घोषित किया गया।

उक्त आदेश में उल्लेखित स्थाईकर्मियों के वेतन पत्रक अंकेक्षण विभाग में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए। उक्त आदेश में क्रं. 19 पर श्री कुमेर सिंह मकवाना को भी स्थाईकर्मी के वेतन पत्रक पर अंकेक्षण विभाग द्वारा श्री मकवाना की मूल नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई है अथवा संविदा पर के संबंध में आपत्ति ली गई।

श्री कुमेर सिंह मकवाना की नियुक्ति दि. 16.7.1999 को तकनीकी सहायक के पद के विरूद्ध रू. 2500/- के नियत मानदेय पर की गई तथा उन्हें सेल्फफाइनेंस

निरंतर....19.....

स्कीम के अन्तर्गत नियत मानदेय पर वर्षवार स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 1992, दि. 31.8.2004 के अनुसार भी श्री मकवाना को वित्तीय वर्ष 2004-05 मे दैनिक वेतन पर कार्य करने की रू. 2500/- प्रतिमाह के संकलित वेतन पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। श्री मकवाना का नाम विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी की सूची में वर्ष 2016 में क्रं. 25 पर अंकित है। श्री मकवाना को कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16.12.03 के प्रस्ताव क्रं. बी-5 के अनुसार तकनीकी पद पर दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी को नियत मानदेय देने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के परिपालन में श्री मकवाना को 4500/- प्रतिमाह मानदेय पर अस्थाई पर कार्य करने की स्वीकृति आदेश क्रं. 3382, दि. 23.12.2004 के द्वारा प्रदान की गई;

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ 5-1/2013/1/3 भोपाल, दि. 7.10.16 के बिन्दु क्रं. 1.8 के अनुसार संविदा, अंशकालिन आउट सोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू नहीं है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री कुमेर सिंह मकवाना को कुशल श्रेणी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में विचार करने बाबत् प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय निर्णय लिया गया कि विस्तृत जानकारी के साथ प्रकरण को आगामी कार्य-परिषद् की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग)

पूरक कार्य सूची के शेष प्रस्तावों पर कार्य-परिषद् की आगामी बैठक में विचार किये जाने का निर्णय लिया गया ।

सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव :-

1. श्रीमती उषा जाटवा - विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं की इमारतों की मरम्मत एवं स्वच्छता के कार्य करवाये जावे।

(क्रियान्वयन-यांत्रिकी विभाग)

2. श्री सचिन दवे - विश्वविद्यालय एवं क्षिप्रा नदी के तटीय क्षेत्र में आने वाले संबंधित महाविद्यालयों हेतु एक कार्ययोजना बनाई जावे जिसमें क्षिप्रा के तट पर वृक्षारोपण करवाया जाए।

(क्रियान्वयन-रा.से.यो.)

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई।

कुलसचिव

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2019/398 दिनांक :- 30-08-19

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.08.2019 का कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.08.2019 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2019/399 दिनांक :-30-08-19

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्र./अकादमिक/सम्मिलन/2019/372 दिनांक : 28-08-19

कार्यपरिषद्
की
बैठक का कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन

तिथि : 16.08.2019
समय : मध्याह्न 11:30 बजे

:: उपस्थिति ::

01.	डॉ. बालकृष्ण शर्मा	कुलपति एवं अध्यक्ष
02.	डॉ. योगेश रघुवंशी	सदस्य
03.	डॉ. आलोक कुमार राय	सदस्य
04.	श्री सचिन दवे	सदस्य
05.	श्रीमती उषा जाटवा	सदस्य
06	श्रीमती शेवन्ती भगत	सदस्य
07.	डॉ. डी.के. बग्गा	कुलसचिव एवं सचिव

विषय क्रं.1- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.07.2019 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार। (कार्यविवरण की प्रति संलग्न)

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,कार्यपरिषद् की विगत बैठक दिनांक 19.07.2019 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)**

विषय क्रं.2- शोध अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी.उपाधि की सूचना।(सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।)

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधो के परिक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की गई।
(क्रियान्वयन - गोपनीय विभाग)

विषय क्रं.3 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी की दैनिक वेतन दरों की वृद्धि पर विचार।

टीप :- उपर्युक्त विषय में कार्यालय कलेक्टल, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/वित्त-3/2016/12366उज्जैन दिनांक 10.10.2016 के द्वारा दिनांक 1.10.2006 के अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2016/2144, दिनांक 29.12.2016 के द्वारा दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है एवं क्रमांक/वित्त-3/2017/4027 उज्जैन, दिनांक 7.6.2017 के द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों/कर्मचारियों के परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरे दि. 1.4.2017 से निर्धारित की गई है।

निरंतर...02

उक्त आदेश के अनुसरण में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दि. 1.4.2017 से प्रदान की जाने वाली अधिकतम दर निर्धारित करने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, सूचना ग्राह्य की गई एवं मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.4 म.प्र. शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रं. एफ4-2/2018/नियम/चार भोपाल, दि. 6.3.2019 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह जनवरी, 2018 से सातवें वेतनमान में 7 प्रतिशत की दर से तथा छठे वेतनमान में 142 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते के स्थान पर सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ते की दर 1.7.2018 से कुल 9 प्रतिशत तथा छठवे वेतनमान में देय मंहगाई भत्ते की दर कुल 148 प्रतिशत मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

म.प्र. शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रं. एफ4-3/2019/नियम/चार भोपाल, दि.14..6.2019 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह जुलाई, 2018 से सातवें वेतनमान में 9 प्रतिशत की दर से तथा छठे वेतनमान में 148 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते के स्थान पर सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ते की दर 1.1.2019 से कुल 12 प्रतिशत तथा छठ्वे वेतनमान में देय मंहगाई भत्ते की दर कुल 154 प्रतिशत मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

टीप :- उक्त आदेश के तारतम्य में राज्य शासन के कर्मचारियों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों,कर्मचारियों,स्थाईकर्मियों का भी महंगाई भत्ते की संशोधित दरों का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्थाईकर्मी कर्मचारियों को एरियर राशि का नगद भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, सूचना ग्राह्य की गई एवं मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.5 श्री भगवान दत्त शुक्ल, सेवानिवृत्त, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन के छठे वेतन में ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान हेतु विचारार्थ।

टीप :- श्री भगवान दत्त शुक्ल, सेवानिवृत्त, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन के छठे वेतन से ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान हेतु प्राचार्य के द्वारा पत्र क्रं. 1700,दि. 24.1.2019 विश्वविद्यालय में प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र के संलग्न गणना पत्रक अनुसार छठे वेतन से ग्रेच्युटी के अंतर की राशि रू. 73613/- एवं अवकाश नगदीकरण के अंतर की राशि रू. 22305/- कुल राशि रू. 95918/- होती है।

इस संबंध में लेख है कि पूर्व मे अन्य प्रकरणों में माधव महाविद्यालय के न्यायालयीन प्रकरणों में प्राप्त आदेश,शासन के निर्देश एवं विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के निर्णयानुसार भुगतान किया गया है। उक्त प्रकरण में कोई न्यायालयीन निर्णय नहीं है। प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,श्री भगवान दत्त शुक्ल,सेवा निवृत्त शासकीय माधव महाविद्यालय,उज्जैन के ग्रेच्युटी एवं नकदीकरण की राशि के भुगतान के प्रकरण के संबंध में राज्य शासन के पत्रों/ माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं पर प्रदान किये गये आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए विचार-विमर्श उपरांत उपरोक्तानुसार भुगतान की समग्र स्वीकृति प्रदान की गई भविष्य में उक्त प्रकरण उदाहरण के रूप में न माना जाये। इसके साथ ही शासकीय माधव महाविद्यालय

निरंतर...03

एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को शासन एवं न्यायालय के निर्देश पर विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे वित्तीय भुगतान की प्रतिपूर्ति शासन से करने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.6 श्री सुरेश देसवाली, सेवानिवृत्त व्यायाम प्रशिक्षक, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान के संबंध में विचारार्थ।

टीप :- श्री सुरेश देसवाली,सेवानिवृत्त व्यायाम प्रशिक्षक,शासकीय माधव महाविद्यालय,उज्जैन से दि. 31.3.2018 को सेवानिवृत्त होकर शासन स्तर से पेंशन प्राप्त कर रहे है। उनके द्वारा छठे वेतन में ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान का निवेदन किया गया है। श्री सुरेश देसवाली के प्रकरणों में आयुक्त कार्यालय द्वारा जी.पी.ओ. क्रं. 191, दि. 5.2.19 के अनुसार ग्रेच्युटी की राशि रू. 1000000/- एवं प्राचार्य के पत्र क्रं. 45, दि. 8.4.2019 के अनुसार अवकाश नकदीकरण की राशि रू. 625634/- कुल राशि रू. 1625634/- होती है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का न्यायालयीन निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,श्री सुरेश देसवाली,सेवानिवृत्त व्यायाम प्रशिक्षक,शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन,के ग्रेच्युटी एवं नकदीकरण की राशि के भुगतान के प्रकरण के संबंध में राज्य शासन के पत्रों/माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं पर प्रदान किये गये आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए विचार-विमर्श उपरांत उपरोक्तानुसार भुगतान की समग्र स्वीकृति प्रदान की गई भविष्य में उक्त प्रकरण उदाहरण के रूप में न माना जाये। इसके साथ ही शासकीय माधव महाविद्यालय एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को शासन एवं न्यायालय के निर्देश पर विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे वित्तीय भुगतान की प्रतिपूर्ति शासन से करने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.7 श्री जगदीश कुशवाह, सेवानिवृत्त शासकीय माधव महाविद्यालय के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान के संबंध में विचारार्थ।

टीप :- श्री जगदीश कुशवाह, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन से 30.9.2016 को सेवानिवृत्त हुए है। उनके द्वारा दि. 16.10.2018 को ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान का निवेदन किया गया है। उक्त प्रकरण में आयुक्त, कार्यालय से प्राप्त ग्रेच्युटी भुगतान आदेश क्रं. 462, दि. 19.4.2017 के अनुसार राशि रू. 409815/- एवं प्राचार्य के पत्र क्रं. 1967, दि. 4.3.2017 के अनुसार अवकाश नकदीकरण की राशि रू. 227303/- कुल राशि रू. 637118/- होती है। इस संबंध में लेख है कि संबंधित से प्राप्त आवेदन के अनुक्रम में विश्वविद्यालय नियोक्ता एवं प्राचार्य स्तर से पदोन्नति/समयमान दिये जाने की सक्षम स्वीकृति के दस्तावेज प्राचार्य से चाहे गये थे परन्तु प्राचार्य द्वारा लिखा गया कि नियोक्ता विश्वविद्यालय की सक्षम स्वीकृति के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की न्यायालयीन याचिका/निर्णय प्रशासन विभाग में अप्राप्त है। प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,श्री जगदीश कुशवाह, सेवानिवृत्त शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन,के ग्रेच्युटी एवं नकदीकरण की राशि के भुगतान के प्रकरण के संबंध में राज्य शासन

निरंतर...04

के पत्रों/माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं पर प्रदान किये गये आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए विचार-विमर्श उपरांत उपरोक्तानुसार भुगतान की समग्र स्वीकृति प्रदान की गई भविष्य में उक्त प्रकरण उदाहरण के रूप में न माना जाये। इसके साथ ही शासकीय माधव महाविद्यालय एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को शासन एवं न्यायालय के निर्देश पर विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे वित्तीय भुगतान की प्रतिपूर्ति शासन से करने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.8 स्व.श्री मुर्तजा,शासकीय माधव महाविद्यालय के छठे वेतन में ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान के संबंध में विचारार्थ।

टीप :- स्व.श्री मुर्तजा,शासकीय माधव महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी दि. 1.4.2014 को स्वर्गवासी हो चुके है,फलस्वरूप शासन स्तर से उनकी पत्नि श्रीमती शमाबी को पेंशन प्राप्त हो रही है एवं उनकी पत्नि के द्वारा छठे वेतन में ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान का निवेदन किया गया है। स्व.श्री मुर्तजा के प्रकरण में आयुक्त,कार्यालय के द्वारा जारी जी.पी.ओ.अनुसार ग्रेच्युटी की राशि रू. 366630/- एवं प्राचार्य, शासकीय माधव महाविद्यालय के पत्र क्रं. 1136, दि. 17.10.18 के संलग्न गणना पत्रक अनुसार अवकाश नकदीकरण की राशि रू. 177760/- कुल राशि रू. 544390/- होती है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का न्यायालयीन निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- स्व.श्री मुर्तजा,शासकीय माधव महाविद्यालय,उज्जैन,के ग्रेच्युटी एवं नकदीकरण की राशि के ग्रेच्युटी एवं नकदीकरण की राशि के भुगतान के प्रकरण के संबंध में राज्य शासन के पत्रों/ माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं पर प्रदान किये गये आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए विचार-विमर्श उपरांत उपरोक्तानुसार भुगतान की समग्र स्वीकृति प्रदान की गई भविष्य में उक्त प्रकरण उदाहरण के रूप में न माना जाये। इसके साथ ही शासकीय माधव महाविद्यालय एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को शासन एवं न्यायालय के निर्देश पर विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे वित्तीय भुगतान की प्रतिपूर्ति शासन से करने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.9 श्री चिन्तामण यादव, सेवानिवृत्त, चौकीदार, शासकीय माधव महाविद्यालय के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान के संबंध में विचार।

टीप :- श्री चिन्तामण यादव, शासकीय माधव महाविद्यालय से दिनांक 30.06.2016 को सेवानिवृत्त हो चुके है। उनके द्वारा ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान का 18.08.2018 को निवेदन किया गया है। उक्त प्रकरण में अपर संचालक, के द्वारा पी.पी.ओ. एवं जी. पी.ओ. दि. 28.03.2017 को जारी किए गए है। उक्त जी.पी.ओ. अनुसार ग्रेच्युटी की राशि रू. 3,71,910/- एवं शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन द्वारा दि. 1.3.2017 द्वारा प्रसारित अवकाश नकदीकरण के 240 दिवस के भुगतान आदेश एवं दि. 17.6.16 को जारी एल.पी.सी.अनुसार अवकाश नगदीकरण की गणना करने पर 197280/- होती है। अतः कुल ग्रेच्युटी राशि एवं नकदीकरण की राशि रू. 371910+197280कुल 569190/- (अक्षरी रूपये पांच लाख उनसित्तर हजार एक सौ नब्बे) होती है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में कोई न्यायालयीन प्रकरण/निर्णय विश्वविद्यालय में प्राप्त नहीं है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत।

निरंतर...05

निर्णय :- श्री चिन्तामण यादव, सेवानिवृत्त,चौकीदार,शासकीय माधव महाविद्यालय,उज्जैन,के ग्रेच्युटी एवं नकदीकरण की राशि के भुगतान के प्रकरण के संबंध में राज्य शासन के पत्रों/माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं पर प्रदान किये गये आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए विचार-विमर्श उपरांत उपरोक्तानुसार भुगतान की समग्र स्वीकृति प्रदान की गई भविष्य में उक्त प्रकरण उदाहरण के रूप में न माना जाये। इसके साथ ही शासकीय माधव महाविद्यालय एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को शासन एवं न्यायालय के निर्देश पर विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे वित्तीय भुगतान की प्रतिपूर्ति शासन से करने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.10 स्व.श्री सहदेव प्रसाद यादव, सेवानिवृत्त भृत्य, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान पर विचार।

टीप :- स्व. श्री सहदेव प्रसाद यादव, मृत्यु दि. 5.7.2013 शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान हेतु श्रीमती प्रेमलता यादव (पत्नि स्व. श्री सहदेव प्रसाद यादव) के द्वारा दि. 12.2.19 को आवेदन किया गया है उक्त प्रकरण में अपर संचालक, वित्त के आदेश दिनांक 23.5.18 के द्वारा छठे वेतन से ग्रेच्युटी राशि रू. 295887/- के आदेश प्रसारित किये गये है। प्राचार्य के पत्र क्रं. 910 जो विश्वविद्यालय को दि. 7.7.18 को प्राप्त हुआ है के द्वारा अवकाश नकदीकरण के अंतर की राशि रू. 99104/- अंकित की गई। अतः कुल राशि रू.295887+99104=394991/-(अक्षरी तीन लाख चौरानवे हजार नो सौ इंक्यानवे) होती हे। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में कोई न्यायालयीन प्रकरण/निर्णय विश्वविद्यालय में प्राप्त नहीं है। संबंधित द्वारा भुगतान हेतु सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत की गई है एवं प्रकरण में अपर संचालक,वित्त के द्वारा पत्र क्रं. 707, दिनांक 13.6.19 जो कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को संबोधित है, में भुगतान हेतु महाविद्यालय को निर्देश दिये गये है,जिसके फलस्वरूप प्राचार्य,शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन के द्वारा अपर संचालक,वित्त को पत्र दि.24.6.19 में लिखा गया है कि भुगतान विश्वविद्यालय स्तर से किया जाना है, परन्तु यदि महाविद्यालय स्तर से भुगतान होना है तो किस मद से किया जावे की जानकारी प्राचार्य द्वारा शासन से चाही गयी है। उक्त चाही गई जानकारी आज दिनांक तक शासन से अप्राप्त है। प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- स्व.श्री सहदेव प्रसाद यादव,सेवानिवृत्त भृत्य,शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन,के के ग्रेच्युटी एवं नकदीकरण की राशि के भुगतान के प्रकरण के संबंध में राज्य शासन के पत्रों/ माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं पर प्रदान किये गये आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए विचार-विमर्श उपरांत उपरोक्तानुसार भुगतान की समग्र स्वीकृति प्रदान की गई भविष्य में उक्त प्रकरण उदाहरण के रूप में न मान्ना जाये। इसके साथ ही शासकीय माधव महाविद्यालय एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को शासन एवं न्यायालय के निर्देश पर विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे वित्तीय भुगतान की प्रतिपूर्ति शासन से करने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.11 श्री देवीसिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त, प्रयोगशाला परिचारक, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के भुगतान के संबंध में विचारार्थ।

टीप :- श्री देवी सिंह ठाकुर,दि. 30.11.2017 को शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय से सेवानिवृत्त

निरंतर...06

हुए है इनके प्रकरण में अपर संचालक, वित्त के ग्रेच्युटी भुगतान आदेश क्रं.1224, दि. 30.10.2018 राशि रू. 513439/- प्रसारित किया गया है एवं प्राचार्य,शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के पत्र क्रं. 372, दि. 12.4.2019 के द्वारा अवकाश नकदीकरण के गणना पत्रक अनुसार राशि रू. 140348/- के भुगतान हेतु लिखा गया है। उक्तानुसार कुल राशि रू. (513439+140348) = 653787/-(अक्षरी छः लाख त्रेपन हजार सात सौ सित्यासी) होती है। प्रकरण में कोई न्यायालयीन याचिका/निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- श्री देवीसिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त,प्रयोगशाला परिचारक,शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन,के ग्रेच्युटी एवं नकदीकरण की राशि के भुगतान के प्रकरण के संबंध में राज्य शासन के पत्रों/माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं पर प्रदान किये गये आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए विचार-विमर्श उपरांत उपरोक्तानुसार भुगतान की समग्र स्वीकृति प्रदान की गई भविष्य में उक्त प्रकरण उदाहरण के रूप में न माना जाये। इसके साथ ही शासकीय माधव महाविद्यालय एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को शासन एवं न्यायालय के निर्देश पर विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे वित्तीय भुगतान की प्रतिपूर्ति शासन से करने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.12 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों से प्राप्त आवेदन पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर अनुमोदन पश्चात जारी आदेश कार्यपरिषद् के सूचनार्थ प्रस्तुत।

टीप :- विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में कार्यरत दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/निरीक्षण पश्चात समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार दि. 1.3.2018 के अनुमोदन पश्चात कार्यालयीन आदेश क्रं./प्रशा./संस्था./2018/2469,दि. 10.04.2018 के द्वारा श्री ऋषि चौहान,पुत्र स्व.श्री श्यामलाल चौहान, पद भृत्य सह चौकीदार एवं कार्यालयीन आदेश क्रं./प्रशा./संस्था./2018/2471, दि. 10.04.2018 के द्वारा श्री नरेन्द्र शर्मा, पु.स्व.श्री मूलचंद शर्मा,पद भृत्य सह चौकीदार को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई। प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, सूचना ग्राह्य की जा कर मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.13 डॉ.लक्ष्मीनारायण शर्मा प्राध्यापक शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,नीमच की वरीयता के प्रकरण पर विचार।

टीप :- परिनियम क्रमांक 19 के प्रावधानान्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शिक्षकों की वरीयता सूची में संशोधन हेतु प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि 15 अक्टूबर तक आवेदन मंगवाये जाते है एक आवती समिति का गठन किया जाता है समिति की अनुशंसानुसार 31 दिसम्बर को वरियता सूची का प्रकाशन किया जाता है। वर्ष 2020 हेतु प्रक्रिया शेष है।

वर्ष 2019 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित महाविद्यालय शिक्षकों की वरियता सूची में डॉ. शर्मा के नाम से उपर अन्य प्राध्यापकों के नाम है। डॉ शर्मा ने माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिपालन में एवं उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 23.04.2019 को प्रसारित 01.04.2009 की स्थिति में अंतिम संयुक्त वरिष्ठता सूची को आधार बनाया गया है। वर्तमान में नवीन अध्ययनमण्डल का गठन किया जाना

निरंतर...07

है जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित वरीयता सूची के आधार पर किया जाता है। विश्वविद्यालय में अध्ययनमण्डल का गठन तीन वर्ष की कालावधि के लिए किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण पर विधिक अभिमत प्राप्त किया गया है। "अभिमत का अंतिम पैरा निम्नानुसार :-

मेरे द्वारा प्रकरण अवलोकन किया गया। राज्य शासन द्वारा जो अंतिम वरियता सूची जारी की गई है उसमें डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा का नाम 218 क्रम पर है। इस सूची परिवर्तन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को नहीं है। यह सच है कि विश्वविद्यालय द्वारा परि. क्र.19 की प्रक्रिया का पालन अभी नहीं किया गया है लेकिन शासन द्वारा जारी अन्तिम वरियता सूची को नजर अंदाज करने का अधिकार भी विश्वविद्यालय के पास नहीं है अतः विश्वविद्यालय द्वारा गठित होने वाली विभिन्न समितियों में यदि डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा के संबंध में विचार किया जाता है तो शासन द्वारा जारी अंतिम वरियता जिस क्रम पर निर्धारित है उसे ही महत्व देना होगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करने के लिये विश्वविद्यालय बाध्य होगा। शासन द्वारा जारी वरियता सूची की अनदेखी करने का कोई अधिकार विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं है अतः उसी अनुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा। प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,उक्त प्रस्ताव विस्तृत जानकारी के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। **(क्रियान्वयन - अकादमिक(सम्मिलन)विभाग)**

कार्यपरिषद् की बैठक की प्रथम पूरक कार्यसूची

विषय क्रं.1 परिनियम क्रमांक 27(संशाधित) की धारा 10(7) के प्रावधानानुसार संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 31.07.2019 के कार्यविवरण एतद् सूचनार्थ।

निर्णय :- कार्यविवरण की पुष्टि की गई। **(क्रियान्वयन - अकादमिक(सम्बद्धता)विभाग)**

विषय क्रं.2 सत्र 2019-20 का प्रवेश सूचना विज्ञापन के प्रकाशन हेतु राशि रू. 900900/- (अक्षरी रूपये नौ लॉख नौ सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

टीप :- सत्र 2019-20 प्रवेश विज्ञापन/सूचना के प्रकाशन संबंध में समिति की बैठक दिनांक 04.04.2019,13.05.2019 एवं 15.05.2019 का प्रारूप अनुमोदन पश्चात् सक्षम स्वीकृति पश्चात म.प्र. माध्यम भोपाल को राष्ट्रीय स्तर का दिल्ली संस्करण, म.प्र.-छत्तीसगढ़ सहित अंग्रेजी समाचार पत्र, राज्य स्तर के दो हिन्दी समाचार पत्र म.प्र.संस्करण में तथा रोजगार समाचार एवं रोजगार निर्माण 15.05.2019 को प्रकाशन हेतु भेजा गया था। प्रबंधक (विज्ञापन) म.प्र. माध्यम,भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक/454,दिनांक 24.06.2019 को विज्ञापन का देयक क्रमांक 95845/19.06.2019 राशि 900900/- का भुगतान किया जाना है। अतः वित्त वर्ष 2019-20 बजट मद 3(37) विज्ञापन पर व्यय में शेष राशि 2554821/- से भारित होगा।

अतः राशि रूपये 900900/- के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, विज्ञापन हेतु देयक राशि रू. 900900/-(अक्षरी रूपये नौ लॉख नौ सौ मात्र) के भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(क्रियान्वयन - लेखा विभाग) निरंतर...08

विषय क्रं.3 शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों से लिये जाने वाले नवीन/संशोधित सम्बद्धता शुल्क का निर्धारण करने हेतु गठित समिति से प्राप्त प्रस्तावित शुल्क तालिका के अनुमोदन पर विचार।

टीप :- विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन के क्षेत्रान्तर्गत,संचालित शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों से लिये जाने वाले,नवीन महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन विषय/उत्तरवर्ती कक्षा/पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता-निरन्तरता/स्थाई सम्बद्धता/सीट वृद्धि हेतु नवीन/संशोधित शुल्क निर्धारण हेतु गठित समित की बैठक दिनांक 05.07.2019 में,की गई अनुशंसा एवं प्रस्तावित नवीन/संशोधित शुल्क तालिका को कार्यपरिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 19.07.2019 में प्रथम पूरक कार्य सूची के विषय क्रमांक 11पर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार पुनः शुल्क समिति की बैठक दिनांक 02.08.2019 एवं 06.08.2019 को आयोजित की गई,चर्चा उपरांत,शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा सहित पुनःनवीन/संशोधित प्रस्तावित सम्बद्धता शुल्क तालिका (परिशिष्ट-ए) विचारार्थ।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों से लिये जाने वाले नवीन/संशोधित सम्बद्धता शुल्क का निर्धारण करने हेतु गठित समिति से प्राप्त प्रस्तावित शुल्क तालिका को मान्य किया जा कर स्वीकृति प्रदान की गई यह भी निर्णय लिया गया कि,इसे समन्वय समिति के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये।

(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.4 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शोधार्थी श्री भानुप्रतापसिंह द्वारा दिये गये शोधावधि में वृद्धि एवं पुर्नपंजीयन के अन्तर्गत समयावधि में वृद्धि में लगने वाले विलम्ब शुल्क को माफ करने संबंधी आवेदन पर विचार।

टीप :- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शोधार्थी श्री भानुप्रताप सिंह दिनांक 21.09.2010 से पंजीकृत शोधार्थी है, इन्होने शोधावधि में वृद्धि हेतु समय पर आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु आवेदन पर उनके शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं अग्रेषित नहीं होने के कारण शोधावधि में वृद्धि प्रदान नहीं की गई थी, शोधार्थी तभी से समयावधि में वृद्धि का प्रयास कर रहा है एवं शोधार्थी ने अपना शोध निर्देशक भी परिवर्तित कर लिया है। शोधार्थी को पॉच वर्ष की समयावधि में वृद्धि प्राप्त करना है, जिस पर 2000/- रू. प्रतिमाह विलम्ब शुल्क लग रहा है, प्रकरण पर विधिक अभिमत प्राप्त किया गया जिसमें शोधार्थी को नया आवेदन देने के निर्देश प्रदान किये गये है, एवं मूल शुल्क जमा कर एवं विलम्ब शुल्क माफ करने का अभिमत दिया गया है। अतः प्रस्ताव कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,विलम्ब शुलक से मुक्त करते हुए समस्त अन्य शुल्क जमा करने की शर्त पर शोध प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाये एवं यह भी निर्णय लिया गया कि, प्रकरण में समग्र परीक्षण हेतु समिति का गठन किया जाये

(क्रियान्वयन - अकादमिक(पीएच.डी.) विभाग)

विषय क्रं.5 श्री ऋत्विक मिश्रा द्वारा रिट याचिका क्रं. 3866/2019/ के संबंध में प्राप्त विधिक अभिमत के अनुसरण में प्रस्ताव कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ।

टीप :- विषयान्तर्गत लेख है कि, छात्र से प्राप्त आवेदन दिनांक 25.07.2019 के अनुसार :-

01. एल.एल.बी. तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना है।
02. संबंधित कॉलेज को चतुर्थ सेमेस्टर में नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित कर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा एवं Viva में बैठाने हेतु पत्र जारी कर उसकी प्रतिलिपि छात्र को प्रदाय किया जाना है।

निरंतर...09

03. एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर में Viva के अंक कॉलेज से Written assignment पर मंगाकर द्वितीय सेमेस्टर की नवीन अंकसूची जारी किया जाना है।

04. एल.एल.बी.तृतीय सेमेस्टर के दो छुटे हुए (छुट गये) विषयों को आगामी ए.टी.के.टी. छात्रों के साथ परीक्षा करवाकर अंकसूची जारी किया जाना है।

प्राप्त विधिक अभिमत दिनांक 01.08.2019 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में छात्र श्री ऋत्विक मिश्रा का प्रकरण विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् के समक्ष रखा जाए एवं उसमें समस्त नियमों का उल्लेख करते हुए उसकी अनुपस्थिति के संबंध में उसके द्वारा जो कारण बताया गया है वह मान्य किया जाकर आगामी कार्यवाही किया जाना उचित होगा अथवा नहीं यह निर्णय लिया जाना चाहिये। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,श्री ऋत्विक मिश्रा के प्रकरण में प्राप्त विधिक अभिमत में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में अध्यादेश के प्रावधानानुसार कार्यवाही संपादित की जावे।
(क्रियान्वयन - परीक्षा विभाग)

विषय क्रं.6 गोपनीय विभाग में पदस्थ अधिकारी/ कर्मचारियों के पारिश्रमिक दरों को पुनरक्षित किये जाने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 19.07.2019 को आयोजित की गई समिति की अनुशंसा विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, पुनः समिति गठित कर समिति की अनुशसा प्राप्त की जा कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। **(क्रियान्वयन - गोपनीय विभाग)**

विषय क्रं.7 गोपनीय विभाग के समान अन्य विभागों में पारिश्रमिक प्रदान किए जाने बाबद् चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ से एवं अकादमिक/प्रशासन विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, प्रस्ताव अमान्य किया जाये। **(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

विषय क्रं.8 विश्वविद्यालय में इंटिग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम (IUMS) लागू किये जाने के बाबद् विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.06.2018 विषय क्रमांक 05 के अन्तर्गत निर्णय लिया जा कर शासकीय फर्म आई.टी.आई. लिमिटेड नई दिल्ली,(केन्द्रीय शासन के उपक्रम) के माध्यम से (IUMS) लागू किये जाने बाबद् आदेश कार्यपरिषद् द्वारा प्रदान किये गये थे। इसी प्रकार कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.01.2019 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.07.2019 द्वारा MOU संबंधी कार्यवाही बाबद् आदेश प्रदान किये गये है।

उक्त के परिपालन में,आगामी कार्यवाही वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पन्न किये जाने बाबद् प्रकरण कार्यपरिषद् के सम्मुख विचारार्थ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,इंटिग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम (IUMS) लागू किये जाने एवं MOU संबंधी आगामी कार्यवाही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्पन्न किये जाने की स्वकृति प्रदान की गई।
(क्रियान्वयन - भण्डार विभाग)

निरंतर...10

विषय क्रं.9 वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 का अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा ग्राह्य करने विषयक।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 का अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा ग्राह्य की गई। **(क्रियान्वयन - लेखा विभाग)**

विषय क्रं.10 मे.इर्मज डाटा सर्विस नागपुर एवं मे.ऑफ सेट प्रिंटीग हाऊस,सतना को शासन के नियमानुसार वेट टैक्स के स्थान पर जी.एस.टी. राशि भुगतान करने पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,मे.इर्मज डाटा सर्विस नागपुर एवं मे.ऑफ सेट प्रिंटीग हाऊस,सतना को शासन के नियमानुसार वेट टैक्स के स्थान पर जी.एस.टी. राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाये। **(क्रियान्वयन - लेखा विभाग)**

विषय क्रं.11 श्री कुमेर सिंह मकवाना, के दैनिक वेतन भोगी से स्थाईकर्मी बनाए जाने के संबंध में अंकेक्षण विभाग द्वारा ली गई आपत्ति पर कार्यपरिषद के समक्ष विचार।

टीप :- म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अर्न्तगत संचालित विश्वविद्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी के लिए स्थाईकर्मी घोषित करने विषयक आदेश क्रं.एफ73-13/2017/38-3 भोपाल, दि. 27.4.18 के परिपत्र अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रं. एफ-5-1/2013/1/3 दिनांक 7.10.16 के अन्तर्गत म.प्र.शासन के समस्त विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थाईकर्मी घोषित किए जाने के निर्देश को म.प्र.में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त विश्वविद्यालयों में लागू किया जाना है तदनुसार विक्रम समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रं./प्रशासन/संस्थापन/2018/7174,दिनांक 10.7.18 के द्वारा कुल 56 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाईकर्मी घोषित किया गया।

उक्त आदेश में उल्लेखित स्थाईकर्मियों के वेतन पत्रक अंकेक्षण विभाग में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए। उक्त आदेश में क्रं. 19 पर श्री कुमेर सिंह मकवाना को भी स्थाईकर्मी के वेतन पत्रक पर अंकेक्षण विभाग द्वारा श्री मकवाना की मूल नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई है अथवा संविदा पर के संबंध में आपत्ति ली गई।

श्री कुमेर सिंह मकवाना की नियुक्ति दि. 16.7.1999 को तकनीकी सहायक के पद के विरुद्ध रू. 2500/- के नियत मानदेय पर की गई तथा उन्हें सेल्फफाइनेंस स्कीम के अन्तर्गत नियत मानदेय पर वर्षवार स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 1992, दि. 31.8.2004 के अनुसार भी श्री मकवाना को वित्तीय वर्ष 2004-05 मे दैनिक वेतन पर कार्य करने की रू. 2500/- प्रतिमाह के संकलित वेतन पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। श्री मकवाना का नाम विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी की सूची में वर्ष 2016 में क्रं. 25 पर अंकित है। श्री मकवाना को कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16.12.03 के प्रस्ताव क्रं. बी-5 के अनुसार तकनीकी पद पर दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी को नियत मानदेय देने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के परिपालन में श्री मकवाना को 4500/- प्रतिमाह मानदेय पर अस्थाई पर कार्य करने की स्वीकृति आदेश क्रं. 3382, दि. 23.12.2004 के द्वारा प्रदान की गई।

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ 5-1/2013/1/3 भोपाल, दि. 7.10.16 के बिन्दु क्रं. 1.8 के अनुसार संविदा, अंशकालिन आउट सोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू नहीं है।

निरंतर...11

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री कुमेर सिंह मकवाना को कुशल श्रेणी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में विचार करने बाबत् प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,श्री कुमेर सिंह मकवाना, के प्रकरण में दैनिक वेतन पर कार्यरत रहने बाबत् अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में समस्त अभिलेखों पर समग्र विचार विमर्श उपरान्त श्री कुमेर सिंह मकवाना के दैनिक वेतन पर कार्य किये जाने के संबंध में सहमति प्रदान की एवम् तदानुसार आगामी कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार

विषय क्रं.01 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में बाह्य व्यक्तियों/अतिथियों/उद्यमी/शासकीय अधिकारी/बैंकर/विषय विशेषज्ञ आउटसोर्स आदि से व्याख्यान हेतु पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में विचार।

टीप :- उपर्युक्त विषय में प्रस्तुत है कि विश्वविद्यालय द्वारा उद्यमी विकास प्रकोष्ठ में बाह्य व्यक्तियों/अतिथियों/उद्यमी/शासकीय अधिकारियों/बैंकर आदि से व्याख्यान हेतु रू.500/-प्रति व्याख्यान मानदेय एवं रू. 100/- वाहन भत्ते के रूप में भुगतान की राशि सक्षम स्वीकृत द्वारा भुगतान की जाती रही है। एम.ए.मासकम्युनिकेशन में भी विषय विशेषज्ञ आउटसोर्स से व्याख्यान करवाये गये है।

अतः उद्यमी विकास प्रकोष्ठ एवं एम.ए. मासकम्युनिकेशन पाठ्यक्रम में बाह्य व्यक्तियों/अतिथियों/उद्यमी/शासकीय अधिकारियों/बैंकर/विषय विशेषज्ञ आउटसोर्स आदि से व्याख्यान हेतु रू. 500/-प्रति व्याख्यान मानदेय एवं रू. 100/- वाहन भत्ते के रूप में भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद..के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, उद्यमी विकास प्रकोष्ठ एवं एम.ए. मासकम्युनिकेशन पाठ्यक्रम में बाह्य व्यक्तियों/अतिथियों/उद्यमी/शासकीय अधिकारियों/बैंकर/विषय विशेषज्ञ आउटसोर्स आदि से आवश्यक होने पर व्याख्यान हेतु रू. 500/-प्रति व्याख्यान मानदेय एवं रू. 100/- वाहन भत्ते के रूप में भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। **(क्रियान्वयन - प्रशासन एवं लेखा विभाग)**

विषय क्रं.02 विधि अध्ययन मण्डल की बैठक 14.08.2019 के कार्यविवरण अनुसार अध्यादेश क्रमांक 60 (एल.एल.बी. सेमेस्टर सिस्टम) के प्रकरण पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)

<u>सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव</u> :-

1. डॉ. आलोक कुमार राय - विश्वविद्यालय द्वारा भवन आवंटन की वर्तमान स्थिति दर्शाते हुए प्रकरण कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

2. केरियर एडवांसमेंट स्कीम(CAS) के अन्तर्गत प्रकरणों को गति प्रदान की जावे। **(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)**

कुलसचिव

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2019/1165 दिनांक :- 06-12-19

प्रति,

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव,
राजभवन,
भोपाल।

विषय :- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.11.2019 का कार्यविवरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.11.2019 का कार्यविवरण आपकी ओर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2019/1166 दिनांक :- 06-12-19

प्रतिलिपि :-

01. कार्यपरिषद् के समस्त माननीय सदस्यगण।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्र./अकादमिक/सम्मिलन/2019/1161 दिनांक :05-12-19

कार्यपरिषद्
की
बैठक का कार्यविवरण

स्थान :- माधव भवन, उज्जैन

तिथि : 18.11.2019

समय : पूर्वाह्ण 11:30 बजे

:: उपस्थिति ::

01.	डॉ. बालकृष्ण शर्मा	कुलपति एवं अध्यक्ष
02.	डॉ. योगेश रघुवंशी	सदस्य
03.	डॉ. आलोक कुमार राय	सदस्य
04.	श्री सचिन दवे	सदस्य
05.	श्रीमती उषा जाटवा	सदस्य
06.	डॉ. डी.के. बग्गा	कुलसचिव एवं सचिव

विषय क्रं.1- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.08.2019 के कार्यविवरण की पुष्टि पर विचार। (कार्यविवरण की प्रति संलग्न)

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.08.2019 के कार्यविवरण की पुष्टि की गई।

(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.2- शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना। **(सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।)**

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधों के परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि की सूचना ग्राह्य की गई।

(क्रियान्वयन - गोपनीय विभाग)

विषय क्रं.3 भवन समिति की बैठक दिनांक 1/10/2019 के कार्य विवरण के अनुमोदन पर विचार। **(सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।)**

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, भवन समिति की बैठक दिनांक 1/10/2019 के कार्य विवरण बिन्दु क्रमांक 1 में वित्तीय संहिता/नियम के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जाये। एवं अन्य बिन्दुओं का यथानुसार अनुमोदन किया गया।

(क्रियान्वयन - यांत्रिकी विभाग)

विषय क्रं. 4. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के पात्रताधारी शिक्षकों का प्रमोशन/उच्चतर एजीपी में

निरंतर...02

स्थानन करने के संबंध में कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

टिप्पणी :- कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16.8.19 में सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव :- 'केरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के अन्तर्गत प्रकरणों को गति प्रदान की जावे।' सी.ए.एस.के अन्तर्गत प्राध्यापकों के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2012/378, दि. 23.5.2012 के द्वारा सी.ए.एस. के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले अध्यापकों के छठे वेतनमान के अनुसार यू.जी.सी. के द्वारा जारी अद्यतन दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में आवेदन का प्रारूप निर्धारण करने एवं परीक्षण के लिए चार सदस्यी समिति का गठन किया गया।
2. कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/शिक्षकीय/2013/1620, दिनांक 31.10.2013,के द्वारा आई.क्यू.ए.सी. के समक्ष सी.ए.एस. के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के ए.पी.आई. स्कोर के परीक्षण हेतु विषयवार उपसमितियाँ गठित की गई।
3. कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/शिक्षकीय/2013/2578, दिनांक 12.02.2013 के द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिसूचना प्रसारित की गई।
4. सी.ए.एस. के अन्तर्गत प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श करने हेतु आई.क्यू.ए.सी.समिति की बैठक दि. 3.9.2014 के अनुसार 16 प्राध्यापकों को स्टेज 1 से स्टेज 2 का लाभ प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई।
5. आई.क्यू.ए.सी. की उक्त अनुशंसाओं को दि. 15.12.2014 को आगामी कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ रखे जाने हेतु पत्रावली सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई। किन्तु उक्त प्रकरण पर निर्णय नहीं हो सका।
6. माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय में रिट अपील नं.128,129,130,131/2019,1633/2019 लंबित है।

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के शिक्षकों को सी.ए.एस. के अन्तर्गत पदोन्नति सम्बंधी प्रक्रिया करने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रं. 1593, दि. 5.10.2019 के द्वारा 06 सदस्यी समिति का गठन किया गया है। उक्त गठित समिति की बैठक क्रमशः दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 एवं 01 नवम्बर, 2019 में समिति द्वारा अनुशंसा की गई है कि, शिक्षकों की पदोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं प्रक्रिया सहित आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- विषय पर चर्चा के दौरान कार्यपरिषद् की सम्माननीय सदस्य श्रीमती उषा जाटवा ने विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/शिक्षकीय/2013/2578,दिनांक 12.02.2013 के परिप्रेक्ष्य में कितने प्राध्यापकों के आवेदन प्राप्त हुए थे,की जानकारी चाही गई।

कार्यपरिषद् को तत्संदर्भ में जानकारी से अवगत कराया गया।

सम्पूर्ण विषय पर समग्र विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि, तत्सबंध में माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के अध्यधीन वर्तमान में अर्हताधारी शिक्षकों के केरियर एडवांसमेंट के संबंध में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावें। पदोन्नति के संबंध में कार्यवाही माननीय न्यायालय के आदेशानुसार की जावे तद्नुसार माननीय न्यायालय के निर्णय आदेश के आलोक में प्रस्ताव की कण्डिका 4 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही अनुमोदित की गई। सम्पूर्ण प्रकरण एवं कृत कार्यवाही कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे।

(क्रियान्वयन-प्रशासन विभाग) निरंतर...03

विषय क्रं.5 के. आर.एकेडमी,राजोदा,जिला देवास में परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत प्राचार्य के पद पर चयन हेतु गठित चयन समिति से प्राप्त अनुशंसा पर अनुमोदन हेतु विचार।

टिप्पणी :- के.आर.एकेडमी,राजोदा,जिला देवास में परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत प्राचार्य के पद पर चयन हेतु कुलपतिजी द्वारा गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 07.07.2019 से प्राप्त अनुशंसा अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि के. आर.एकेडमी,राजोदा,जिला देवास परिनियम क्रमांक 28 के अंतर्गत प्राचार्य के पद पर चयन हेतु गठित चयन समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार डॉ. स्नेहलता शर्मा का चयन प्राचार्य हेतु मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.6 विश्वविद्यालय की आय/व्यय के शत-प्रतिशत सत्यापन एवं लेखांकन हेतु चार्टर्ड एकाउटेंट की नियुक्ति के लिये निविदा आमंत्रण प्रस्ताव पर विचार।

टिप्पणी :- म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के भाग-08 की कंडिका क्रं.-47 एवं 48 अनुसार विश्वविद्यालय की आय/व्यय का लेखांकन, संपरीक्षा तथा आय का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाकर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय में वर्तमान कार्य निम्नानुसार लंबित हैं :-

1. विश्वविद्यालय से सम्बन्द्ध महाविद्यालयों से प्राप्त होने वाले सम्बद्धता शुल्क का सत्यापन, बकाया शुल्क का निर्धारण एवं वसूली।
2. सम्बद्ध महाविद्यालयों से प्राप्त अन्य आय जैसे-परीक्षा शुल्क, परीक्षा आवेदन शुल्क, उपाधि शुल्क, प्रवजन शुल्क, पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना शुल्क एवं अन्य शुल्कों का सत्यापन एवं बकाया वसूली।
3. आयकर/जीएसटी के टीडीएस रिटर्न ऑनलाईन द्वारा जमा करना, तिमाही रिटर्न जमा करना, फार्म नं.-24 क्यू एवं 26 क्यू. की जानकारी समय पर प्रेषित करना, आयकर/जीएसटी कार्यालय से पूर्व वर्षो में बकाया/रिटर्न के संबंध विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अपील/पक्ष प्रस्तुत करना।
4. विश्वविद्यालय के आय/व्यय का लेखांकन एवं संधारण, बजट संधारण, बैंक खातों का समाशोधन/मिलान इत्यादि कार्य।
5. लोक लेखा समिति, महालेखाकार, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षण में ली गयी आपत्तियों का निराकरण।

उक्त लंबित कार्यो हेतु म.प्र. शासन/विश्वविद्यालय अधिनियम अनुसार विधिवत् निविदाएँ आमंत्रित की जाकर चार्टर्ड एकाउटेंट की नियुक्ति प्रस्तावित है। उक्त कार्य हेतु किया जाने वाला व्यय वित्तवर्ष 2019-2020 के बजट मद क्रं./3(39)-कानूनी व्यय जिसमें राशि रुपये 16.00 लाख का प्रावधान है, पर भारित होगा।

निर्णय :- विश्वविद्यालय की आय/व्यय के शत-प्रतिशत सत्यापन एवं लेखांकन हेतु चार्टर्ड एकाउटेंट की नियुक्ति के लिये निविदा आमंत्रण प्रस्ताव मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन - लेखा विभाग)

विषय क्रं 7 वित्तवर्ष 2019-20 में अतिथि विद्वानों एवं स्थायीकर्मी के वेतन/भत्तों के भुगतान हेतु पुनर्विनियोजन प्रस्ताव पर विचार।

निरंतर...04

टिप्पणी :- म.प्र. शासन, उच्चशिक्षा विभाग, भोपाल के ज्ञाप क्रं./एफ-1-12/2017/38/1 भोपाल, दिनांक 26.06.2018 अनुसार विश्वविद्यालय में नियुक्त अतिथि विद्वानों को कार्यपरिषद् के प्रस्ताव क्रं./06 दिनांक 19.07.2019 के निर्णयानुसार नवीन दर पर राशि(रुपये 1500/- प्रति दिवस) के मान से मानदेय का भुगतान किया जाना है।

वर्तमान बजट में अतिथि विद्वानों के भुगतान हेतु बजट मद 1(1)8 में राशि रुपये 250.00 लाख प्रावधानित है। माह सितम्बर, 2019 तक राशि रुपये 51.00 लाख होकर राशि रुपये 199.00 लाख शेष है।

माह अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक नवीन दर से विश्वविद्यालय में नियुक्त कुल 105 अतिथि विद्वानों के भुगतान पर प्रति अतिथि विद्वान् राशि रुपये 40,000/- प्रतिमाह के अनुमानित व्यय अनुसार कुल राशि रुपये 289.00 लाख का व्यय होगा। अतः राशि रुपये 90.00 लाख वित्तवर्ष 2019-20 की अन्य मद 1(1)1 अध्यापकों का वेतन जिसमें राशि रुपये 3536.21 लाख प्रावधानित है, से पुनर्विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है।

म.प्र.शासन, उच्चशिक्षा विभाग, भोपाल के ज्ञाप क्रं./एफ-5-1/2013/1/3,दिनांक 07.10.2016 अनुसार विश्वविद्यालय में नियुक्त स्थायीकर्मी में कुशल श्रेणी को वेतनमान रुपये 5000-100-8000 एवं अकुशल श्रेणी को वेतनमान रुपये 4000-80-7000 तथा दैनिक वेतन भोगी कुशल/ अकुशल श्रेणी कर्मचारियों को कलेक्टर दर से वेतन/मानदेय का भुगतान किया जाना है।

वर्तमान बजट में स्थायीकर्मी/दैनिक वेतन भोगी के भुगतान हेतु बजट मद 2(1)8 में राशि रुपये 250.00 लाख प्रावधानित है। माह सितम्बर, 2019 तक राषि रुपये 201.00 लाख होकर राशि रुपये 49.00 लाख शेष है।

माह अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक वेतनमान/कलेक्टर दर से विश्वविद्यालय में नियुक्त अनुमानित 175 स्थायीकर्मी/दैनिक वेतन भोगी के भुगतान एवं एरियर राशि सहित प्रतिमाह अनुमानित व्यय अनुसार कुल राशि रुपये 170.00 लाख का व्यय होगा। अतः राशि रुपये 121.00 लाख वित्तवर्ष 2019-20 की अन्य मद 1(1)2 अध्यापकेत्तर अधिकारी/ कर्मचारियों के वेतन जिसमें राशि रुपये 4113.51 लाख प्रावधानित है, से पुनर्विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त पुनर्विनियोजन हेतु म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के भाग-04 की कंडिका 24 अनुसार कार्यपरिषद् सक्षम है। अतः अतिथि विद्वानों एवं स्थायीकर्मी/दैनिक वेतन भोगियों को वेतन/भत्तों एवं एरियर सहित नियमित वेतन भुगतान हेतु पुनर्विनियोजन प्रस्तावित है।

निर्णय :- वित्तवर्ष 2019-20 में अतिथि विद्वानों के मानदेय एवं स्थायीकर्मी के वेतन/भत्तों के भुगतान हेतु पुनर्विनियोजन प्रस्ताव मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन - लेखा विभाग)

विषय क्रं.8 विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाईकर्मी विनियमित करने के संबंध में विचार।

टिप्पणी :-विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन में 16 मई, 2007 के पश्चात नियुक्त/कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से दि. 28.9.2019 को स्थाईकर्मी के रूप में विनियमित करने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है।

म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1/20वि/ग्रा./क5

दि. 7.10.16 की कंडिका क्रमांक 1.8 में दिनांक 16 मई, 2007 के पश्चात शासन की अनुमति/अनुमोदन उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी के पद पर नियुक्त किये गये है, उन्हें भी योजना की पात्रता होगी।

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति शासन द्वारा नहीं अपितु कुलपति/कुलसचिव की सक्षम अनुमति/अनुमोदन पश्चात् की जाती है। अतः प्रकरण कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विस्तृत टीप, सम्पूर्ण तथ्यों के साथ प्रकरण आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाये।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.9 वर्ष 2019 -2020 में होने वाली आगामी परीक्षाओं के लिये बिना बारकोड वाली उत्तर पुस्तिकाओं से परीक्षा कराये जाने विषयक।

टिप्पणी :- वर्ष 2019 माह मार्च मे मुख्य परीक्षा वार्षिक पद्धति में बारकोड वाली उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग किया गया था,जो कि कार्यपरिषद के निर्णय क्रमांक 08 दिनांक 13/12/2018 के क्रम में बार कोड वाली उत्तर पुस्तिकाए क्रय की गई थी।

वर्ष 2019 मार्च वार्षिक पद्धति की मुख्य परीक्षा बारकोड पाली उत्तर पुस्तिकाओं से करायी गई थी। तकनीकी समस्याओं के कारण काफी कठिनाई हुई है इस कारण परीक्षा परिणाम आने में काफी समय लग गया है।

अतः इसलिये आगामी परीक्षाएँ वर्ष 2019-2020 बिना बारकोड वाली सामान्य उत्तर पुस्तिकाओं से करायी जाना प्रस्तावित है। यदि म.प्र. शासन के बारकोड वाली उ.पु.से परीक्षा कराने हेतु निर्देश प्राप्त होने पर पालन किया जावेगाा। वर्तमान परीक्षाएँ बिना बारकोड वाली उ.पु. से कराये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,वर्ष 2019 -2020 में होने वाली आगामी परीक्षाओं के लिये बिना बारकोड वाली उत्तर पुस्तिकाओं से परीक्षा कराई जाये। सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने एवं नवीन संभावनाओं को तलाशने के एक समिति का गठन किया जाये।

(क्रियान्वयन - मुद्रणालय विभाग)

विषय क्रं.10 अतिथि निवास के भोजन की दरों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

टिप्पणी :- विक्रम विश्वविद्यालय के अतिथि निवास में आगंतुक अतिथियों के सत्कार हेतु कार्यपरिषद द्वारा दिनांक 26/03/2016 के निर्णय अनुसार अतिथि निवास के उपयोग अनुसार चाय, नाश्ता एवं भोजन की दरों का निर्धारण किया गया था,वर्तमान में भोजन सामाग्री,ईधन आदि की दरों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। तथा स्वीकृत दरों के आधार पर कार्य किया जाना सम्भव नही है।

अतः पूर्व में स्वीकृत भोजनसूची की दरों में 25 की वृद्धि स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष प्रस्ताव हेतु प्रस्तुत।

निरंतर...06

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,अतिथि निवास के भोजन की दरों में वृद्धि करने के पूर्व में स्वीकृत भोजनसूची की दरों में 25 की वृद्धि स्वीकृति के साथ प्रस्ताव को मान्य किया गया।

(क्रियान्वयन - अतिथि निवास)

विषय क्रं. 11 श्री विष्णु सक्सेना, सिस्टम एनालिस्ट, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 59 (2) में अपील, कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ।

टिप्पणी :- श्री विष्णु सक्सेना,सिस्टम एनालिस्ट, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर दीक्षांत समारोह दि. 30.6.2018 के अपलोड होने एवं आदर्श आचार संहिता लागू होने बाद भी उक्त फोटों में से उज्जैन विधानसभा 2018 के निर्वाचन हेतु दो प्रत्याशियों के फोटो विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड फोटो नहीं हटाने को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उक्त कृत्य लापरवाही की श्रेणी में आने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय परिनियम 31 के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि अंसचयी प्रभाव से रोकने संबंधी आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2018/3983, दि. 26.11.18 जारी किया गया।

श्री विष्णु सक्सेना द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 59(2) के तहत उक्त आदेश के संबंध में अपील प्रस्तुत की गई।

विश्वविद्यालय परिनियम परिनियम 31 के बिन्दु क्रं. 55(1) में निम्नानुसार उल्लेख है :- "Where any panalty is imposed on an emplyee by the Registrar. The employee concerned may prefer an appeal to the E.C. with in thirty days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant."

श्री सक्सेना द्वारा प्रस्तुत अपील पर प्राप्त विधिक अभिमत लिया गया जिसका अंतिम पैरा निम्नानुसार है :- ''इस प्रकरण में इस संबंध में विवाद की कोई स्थिति नहीं है,कि श्री सक्सेना को शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व कोई कारण बताओ सूचना पत्र जारी नहीं किया गया था। लघुशास्ति अधिरोपित करने के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसका पालन नहीं किया गया है। अतः यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होती है। प्रशासन चाहे तो वह प्रक्रिया का पालन करते हुए श्री सक्सेना को पुनः कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सकता है तथा उनका स्पष्टीकरण आने के बाद उस पर विचार कर उचित निर्णय लिया जा सकता है।''

श्री विष्णु सक्सेना द्वारा प्रस्तुत अपील कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,श्री विष्णु सक्सेना द्वारा प्रस्तुत अपील पर निर्णय हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.12 गंभीर बीमारी के उपचार में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में विचार।

टिप्पणी :- विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/98/2082, दि. 18.10.98 के द्वारा कार्यपरिषद की बैठक दि. 28.9.98 के निर्णय अनुसार हृदय की बायपास सर्जरी,गुर्दा प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर,कैंसर और डायलिसिस जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हास्पीटलाईजशेन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति शासन के नियमानुसार किए जाने का निर्णय लिया गया है।

1. श्री संतोष धाकड, उ.श्रे.लि., कुलसचिव कार्यालय द्वारा चिकित्सा व्यय राशि 696267/- की प्रतिपूर्ति के संबंध में कार्यपरिषद की बैठक दि. 27.7.19 में अधिष्ठाता, महात्मा गांधी

निरंतर...07

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर से बीमारियों की गंभीरता पर अभिमत प्राप्त कर तद्नुसार भुगतान की कार्यवाही की जाए। संबंधी निर्णय लिया गया। उक्त पर अधिष्ठाता, महात्मा गांधी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर से दि.14.8.19 को जानकारी प्राप्त हुई।

2. श्री योगेन्द्र सिसोदिया, भृत्य, परीक्षा विभाग की माताजी श्रीमती विमलाबाई सिसोदिया के केंसर का आपरेशन पर चिकित्सा व्यय राशि 728440/- की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।

3. श्री शंकरलाल सोनगरा, मिस्त्री, यांत्रिकी विभाग द्वारा हृदय शल्य चिकित्सा में होने वाले चिकित्सा व्यय राशि 204980/- की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

4. श्री भागीरथ मिश्रा, चालक, कुलसचिव कार्यालय द्वारा चिकित्सा व्यय राशि रू. 120000/- की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। विश्वविद्यालय द्वारा कार्यरत कर्मचारी, अधिकारियों एवं शिक्षकों के गंभीर बीमारी पर होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के परीक्षण हेतु समिति का गठन आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2019/1442, दिनांक 18.9.2019 को किया गया। गठित समिति की बैठक दि. 24.9.19 को आयोजित की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत क्रमशः बिन्दुवार अनुशंसा निम्नानुसार है :-

1. "श्री संतोष धाकड लेफ्ट क्लीनोइडल मेनिनजियोमा नामक बीमारी से ग्रसित थे। उनका आपरेशन एवं रेडियो थेरेपी वर्तमान प्रचलित गाईड लाईन के अनुसार किया गया। प्रकरण में परीक्षण उपरांत हमारे अभिमत अनुसार शासन के द्वारा निर्धारित राशि हेतु अनुशंसा की जाती है। उपरोक्त बीमारी गंभीर प्रकृति थी एवं समयावधि में उपचार कराना आवश्यक था।"

2. श्री योगेन्द्र सिसोदिया भृत्य की माताजी की गंभीर बीमारी के संबंध में "प्रकरण का अध्ययन किया मरीज को पोरिनोमा टियूमर रोग था, जो गंभीर बीमारी थी। इलाज प्रचलित मापदण्डो के अनुसार किया गया। शासन द्वारा निर्धारित राशि दिए जाने की अनुशंसा की जाती है एवं संबंधित से आश्रिता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए, ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके।"

3. "श्री शंकरलाल सोनगरा को डबल वेसल डिसीस (सीएडी) थी, जिसकी एनजियोप्लास्टीक की गई (निर्धारित मापदण्ड द्वारा)। बीमारी गंभीर प्रकृति की थी एवं समयावधि में इलाज आवश्यक था। अतः शासन द्वारा निर्धारित राशि प्रदाय किए जाने की अनुशंसा की जाती है।"

4. "श्री भागीरथ मिश्रा वायरल इन्सेफालिटिस से पीडित। प्रकरण का परीक्षण कर हमने पाया कि उक्त बीमारी गंभीर थी एवं चिकित्सा प्रचलित मापदण्डों के अनुसार किया गया। अतः शासन द्वारा निर्धारित राशि प्रदाय किए जाने की अनुशंसा की जाती है।"

अतः प्रकरण कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,प्रस्तावानुसार समस्त प्रस्तुत प्रकरणों पर शासन के नियमानुसार भुगतान किया जाये।

साथ ही सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि विगत 5 वर्षो में कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कितना व्यय भार आया इसका आकलन कर सामूहिक चिकित्सा बीमा लागू करने के संबंध में सुझाव प्रदान करने बाबत् समिति का गठन किया जावे।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.13 श्री कमल बुनकर, प्राध्यापक, कम्प्युटर विज्ञान संस्थान को पी-एच.डी. शोध कार्य हेतु एक वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किए जाने पर विचार।

निरंतर...08

टिप्पणी :- श्री कमल बुनकर विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में प्राध्यापक, कम्प्यूटर विज्ञान संस्थान में दिनांक 23.07.2007 से कार्यरत है। श्री बुनकर को पी-एच.डी. कम्प्युटर साईंस में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से करने हेतु दिनांक 18.10.2012 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। परिनियम 31 की कंडिका 49(ए) के अनुसार 24 माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। जिसमें से श्री बुनकर को पूर्व में दि. 15.1.2013 से 15.7.2013 तक एवं दि. 18.7.2017 से 06 माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है।

अतः परिनियम 31 की कंडिका 49(ए) के अनुसार श्री कमल बुनकर को 12 माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि, प्रकरण सम्पूर्ण जानकारी के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। श्री कमल बुनकर पी.एच.डी. अध्ययन अवकाश के संबंध में समस्त दस्तावेजों के साथ आगामी बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.14 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 12वीं पंचवर्षीय योजना (सामान्य विकास निधि) की शेष अव्ययित राशि रू. 2,75,40,067/- के उपयोग एवं बजट भाग-2 आयोजना (प्लान) सत्र 2019-20 की मद क्रमांक-15 एवं 45 में प्रावधान करने की सक्षम स्वीकृति हेतु।

टिप्पणी :- उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 31 मार्च 2019 को समाप्त हो चुकी थी। इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के पास अव्ययित राशि रू. 2,75,40,067/- शेष है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रं. D.O.No.87-1/2018(SU-I) Date: Aug 2019 के द्वारा अव्ययित राशि को उपयोग करने हेतु समयावधि 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई है।

अतः आयोग से प्राप्त अव्ययित राशि रू. 2,75,40,067/- को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दिशा निर्देशिका अनुसार विश्वविद्यालय बजट में प्रावधानित मद क्रमांक-15 एवं 45 में सम्मिलित किया जा कर व्यय करने की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्ताव कार्यपरिषद की बैठक में भेजे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 12वीं पंचवर्षीय योजना (सामान्य विकास निधि) की शेष अव्ययित राशि रू. 2,75,40,067/- के उपयोग एवं बजट भाग-2 आयोजना (प्लान) सत्र 2019-20 की मद क्रमांक-15 एवं 45 में प्रावधान करने की सक्षम स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन - विकास विभाग)

विषय क्रं.15 डॉ.शेलेन्द्र पाराशर,सेवानिवृत्त आचार्य,डॉ.अम्बेडकर पीठ को सेवानिवृत्ति तक वेतन वृद्धि दिये जाने के संबंध में।

टिप्पणी :- उपर्युक्त विषय में प्रस्तुत है कि डॉ. शैलेन्द्र पाराशर दिनांक 01.12.2007 से आचार्य डॉ. अम्बेडकर पीठ के पद कार्यरत थे। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक मार्च 2007 में सपोर्टिंग स्टाफ के अंतर्गत विज्ञापित आचार्य अम्बेडकर पीठ के प्रोजेक्ट मोड के विरूद्ध विश्वविद्यालय म.प्र अधिनियम 1973 की धारा 49,के अंतर्गत चयनित तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.11.2007 के अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय के

निरंतर...09

आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2007/1982 दिनांक 23.11.07 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई।

डॉ. पाराशर द्वारा सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन से दिनांक 01.12.2007 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली गई जो मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के संशोधित आदेश तिथि एफ–1–16/8/1/अडतीस/भोपाल दिनांक 22.11.2008 से दिनांक 30.11.2007 अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की गई।

डॉ. शैलेन्द्र पाराशर द्वारा डॉ. अम्बेडकर पीठ विक्रम विश्वविद्यालय के पद पर दिनांक 01.12.2007 को कार्यग्रहण किया गया।

विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/प्रशासन/ संस्थापन/2009/894 दिनांक 09.07.2009 एवं आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/ 2011/2662 दिनांक 06.04.2011द्वारा डॉ.शैलेन्द्र पाराशर को पूर्व पद से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर नियमानुसार अपने पूर्व पद के वेतनमान 16400–22400 पर कार्यग्रहण दिनांक 01.12.2007 को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 24.01.1979 एवं ज्ञाप दिनांक 20.10.1984 के प्रावधान अनुसार मूलवेतन 18300 निर्धारित किया जाकर शासन के नियमानुसार कुल वेतन मे से पेंशन घटाते हुए शेष वेतन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये।

डॉ.अम्बेडकर पीठ प्रतिष्ठान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा रिवाईज एम.ओ.यू. 2011के बिन्दू क्रमांक (ii)के अंतर्गत अम्बेडकर पीठ की चेयर (आचार्य) की नियुक्ति अधिकतम समय 05, वर्ष की अवधि के लिये होनी थी परन्तु विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा डॉ. शैलेन्द्र पाराशर के आचार्य अम्बेडकरपीठ के 05 वर्ष पुर्ण होने पर पुनः वृद्धि/पद के विज्ञापन की कोई कार्यवाही किये जाने संबंध में कोई भी प्रक्रिया दृष्टिगोचर नहीं है।

डॉ. शैलेन्द्र पाराशर दिनांक 30 जून 2017 को आचार्य अम्बेडकर पीठ पद से सेवानिवृत्त हो चुके है।

आदेशानुसार डॉ.शैलेन्द्र पाराशर का आचार्य के पद का छठवे वेतनमान मे रूपये 37400–67000+10000 ऐ.जी.पी. कार्यग्रहण दिनांक 01.12.2007 को उक्त वेतनमान मे रूपये 40890+10000 कुल वेतन 50890पर अंकेक्षण विभाग से अनुमोदन पश्चात् आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2019/181 दिनांक 14.03.2019 जारी किया गया।

डॉ. शैलेन्द्र पाराशर को आचार्य डॉ. अम्बेडकर पीठ के पद पर प्रथम 05 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने अथवा सेवानिवृत्ति दिनांक 30.जुन 2017 तक वेतनवृद्धि आहरण किये जाने के सबंध में विधिक अभिमत प्राप्त किया गया जिसके अंतिम पैरा निम्नानुसार हैः–

"डॉ. शैलेन्द्र पाराशर को विश्वविद्यालय कीसेवा में लिये जाने की दिनांक से उनका मूल वेतन जो 18300/– निर्धारित किया गया था उस पर सेवानिवृत्ति तक जो वेतनवृद्धिया लगी वे जोड़कर सेवानिवृत्त होते समय जो मूल वेतन प्राप्त हो रहा था उसके अनुसार उनकी प्रतिवर्ष वेतन की गणना की जाना चाहिये याने कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रत्येक वर्ष की वेतनवृद्धि लगाकर जो मूल वेतन बनता है उसमें से मूल पेंशन को घटाकर शेष वेतन मूल वेतन माना जाकर उसका मंहगाई भत्ता जोड़कर साथ ही उनका वेतन 6वें वेतनमान में निर्धारित किया जाकर मूल वेतन से मूल पेंशन एवं मूल वेतन पर मिलने वाले मंहगाई भत्ते से मूल पेंशन पर मिलने वाला मंहगाई भत्ता कम किया जा सकता है। तदानुसार डॉ. पाराशर का वेतन निर्धारित किया उन्हें शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिये। एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में रहा और उसने विश्वविद्यालय की अच्छी सेवाएं दी के साथ इस प्रकार अन्याय सही नहीं कहा जा सकता है। उनके

निरंतर...10

नियुक्ति आदेश को पुनर्नियुक्ति माना जाकर उपरोक्तानुसार भुगतान किया जाना उचित होगा।''

अतः डॉ. शैलेन्द्र पाराशर को आचार्य डॉ. अम्बेडकर पीठ के पद पर प्रथम 05 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने अथवा सेवानिवृत्ति दिनांक 30.जून 2017 तक वेतनवृद्धि आहरण किये जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,मूल विभाग को सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए डॉ. अम्बेडकरपीठ प्रतिष्ठान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली से अनुदेश प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही की जावे।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्र16 विधि अध्ययनमण्डल की बैठक दिनांक 27/08/2019 के कार्य विवरण अनुसार अध्यादेश क्रमांक 60(एल.एल.बी.सेमेस्टर सिस्टम) में संशोधन के प्रकरण पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,अध्यादेश क्रमांक 60(एल.एल.बी.सेमेस्टर सिस्टम) में संशोधन हेतु प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(क्रियान्वयन - अकादमिक विभाग)

विषय क्रं.17 डॉ प्रमेन्द्र देव,सेवानिवत्त वि.वि. की डुप्लीकेट सेवापुस्तिका को अनुमोदन करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

टिप्पणी :- डॉ.प्रमेन्द्र देव,पेंशन प्रकरण में अपर संचालक,वित्त भोपाल के पत्र क्रं.814,दि.22.07.2019,के द्वारा डुप्लीकेट सेवापुस्तिका को वि.वि. की कार्यपरिषद से अनुमोदित करवाकर भिजवाने का उल्लेख है प्रकरण की वस्तुस्थिति इस प्रकार है :-

1. डॉ प्रमेन्द्र देव को विश्वविद्यालय के आदेश क्रं.7789,दि. 24.07.81,के द्वारा प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी जिसकी प्रविष्टि सेवापुस्तिका के पृष्ठ क्रं.3पर की गई है। आदेश संलग्न पताका (क)
2. डॉ.देव द्वारा नियुक्ति आदेश के अनुसरण में दि. 14.08.81,को दोपहर पूर्व कार्यग्रहण किया गया,जिसकी प्रविष्टि सेवापुस्तिका के पृष्ठ क्रं.3 पर की गई है। संलग्न कार्यग्रहण प्रतिवेदन पताका (ख)
3. डॉ.देव रविशंकर विश्वविद्यालय,रायपुर के आदेश क्रं 6190,दि.14.12.85 के द्वारा उपाचार्य के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। आदेश संलग्न पताका (ग)
4. फलस्वरूप विश्वविद्यालय आदेश क्रं 273,दि. 15.01.86 के द्वारा रविशंकर विश्वविद्यालय,रायपुर में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया गया संलग्न पताका (घ) एवं डॉ.देव के द्वारा रायपुर विश्वविद्यालय में उपाचार्य के पद पर दि. 17.01.86 को कार्यग्रहण भी किया गया।
5. उक्तानुसार डॉ.देव दि. 14.08.81 से 16.01.86 तक वि.वि. उज्जैन एवं 17.01.86 से रायपुर विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण कर दि.06.01.89 तक कार्यरत रहे तत्पश्चात आदेश क्रमांक 3212,दिनांक 26.10.88 के अनुसार दिनांक 07.01.89 से विश्वविद्यालय में उपाचार्य के पद पर कार्य ग्रहण किया गया।(आदेश संलग्न,पताका ड)

डॉ.देव की पेंशन प्रकरण को दिनांक 07.01.89 से सेवा निवृत्ति दिनांक 31.10.2013 तक की सेवाओं को शासन द्वारा मान्य किया जा कर शासन स्तर से अनुमोदन होने के उपरांत पेंशन भी प्राप्त हो रही है। प्रकरण में डॉ.देव की विश्वविद्यालयीन सेवाओं की प्रथम

निरंतर...11

नियुक्ति दिनांक 14.08.81 से 16.01.86 तक की सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पत्रावली क्रमांक 10 के अनुसार डुप्लिकेट सेवा पुस्तिका की अनुमति प्राप्त कर डुप्लिकेट सेवा पुस्तिका तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया था। फलस्वरूप शासन द्वारा उक्त सेवा पुस्तिका को कार्यपरिषद् से अनुमोदित करवा कर भेजने का उल्लेख किया गया है। प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार तैयार डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका का अनुमोदन किया गया।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं. 18. शैक्षणिक सत्र 2018-19 एवं आगामी परीक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम तैयार करने बाबत्।

टिप्पणी :-निविदा प्रक्रिया के पश्चात उच्च क्रय समिति द्वारा फर्म मे.इमेज इण्डिया साल्यूशन प्रा.लि. 109-1/57,मंजू शाह बिल्डिंग नेहरू पैलेस,नई दिल्ली को कार्य सौपे जाने हेतु उच्च क्रय समिति द्वारा अनुशंसा प्रदान की गई थी। उक्त अनुशंसा सक्षम स्वीकृति के पश्चात संबंधित फर्म को कार्य किये जाने बाबत् आगामी प्रक्रिया सम्पन्न करने हेतु विश्वविद्यालय के 1)पत्र क्रमांक/5512,दिनांक 27.07.2019, 2) पत्र क्रमांक 5579,दिनांक 24.08.2019, 3) पत्र क्रमांक 5692,दिनांक 28.09.2019, को प्रेषित किया गया था अतः प्रकरण कार्य परिषद् के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई। कार्यपरिषद् इस तथ्य से अवगत हुई कि वर्तमान परीक्षा परिणाम एजेंसी द्वारा सन्तोषजनक तथा समयसीमा में कार्य नही किया जा रहा है। विश्वविद्यालय एवं छात्रहित में परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिये आगामी टेंडर प्रक्रिया की जावे। चूंकि परीक्षा परिणाम अत्यावश्क अनिवार्य समयसीमा में सम्पन्न किया जाना है अतः विशेष परिस्थिति में वर्तमान निविदा एवं आगामी निविदा प्रक्रिया सम्पन्न करने बाबत् निर्णय हेतु तथा आपवादिक परिस्थिति में विशेष रूप से कार्य सक्षम फर्म से कार्य सम्पन्न करवाने बाबद निर्णय लेने हेतु कुलपतिजी को अधिकृत किया गया।

(क्रियान्वयन - परीक्षा विभाग)

विषय क्रं.19. डॉ.एम.एस. परिहार आचार्य प्राणिकी अध्ययनशाला को लियन पर जाने की अनुमति पर विचार।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल से प्राप्त आदेश क्रमांक 292/75/सी.सी./17/38 भोपाल दिनांक 27.05.2019 के अनुक्रम में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2019/745/ दिनांक 27.05.2019 के द्वारा डॉ.एम.एस. परिहार आचार्य प्राणिकी अध्ययनशाला को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2019 तक मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्य ग्रहण करने हेतु स्वत्वभार (लियन) स्वीकृत करते हुए दि.27.05.2019 को अपरान्ह से कार्यमुक्त किया गया है तथा कार्यालयीन आदेश क्रमांक/प्रशासन/संस्थापन/2019/1744, दिनांक 29.10.2019 के द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दि.31.10.2019 अपरान्ह को

निरंतर...12

सेवानिवृत्त किया गया है।

अतः डॉ.एम.एस. परिहार उक्त अवधि का स्वत्वभार (लियन) की स्वीकृति के संबंध में कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,डॉ.एम.एस. परिहार आचार्य प्राणिकी अध्ययनशाला को लियन पर जाने की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार

विषय क्रं.1. वि.वि. द्वारा आयोजित विविध परीक्षाओं में उपयोग हेतु बारकोड वाली उत्तर पुस्तिकाए क्रय करने के सन्दर्भ में मेसर्स कैलाश प्रिंटिंग प्रेस भोपाल की दरे मान कार्यपरिषद् के प्रस्ताव क्र.08 दिनांक 13.12.2018 से रू.7549 प्रति हजार स्वीकृत होकर वर्ष 2018-19 में संस्था से सम्पादित अनुबंध दिनांक 26.12.2018 के शर्तो के अनुरूप क्रय की गई तथा अनुबंध की कण्डिका 4-(ब) के अनुसार उक्त दरें एवं संस्था का अनुबंध आगामी दो वर्षो तक मान्य है तदानुसार बारकोड वाली उत्तर पुस्तिका वि.वि. में उपलब्ध पर बारकोड ओ.एम.आर. वाली शीट लगाने की दर रू. 1067/- प्रति हजार अनुमानित है। रू.7549/-प्रति हजार दर में रू.1067/- मायनस करने पर (कम करने पर) रू. 7549-1067 =6482 रू. (छ :हजार चार सौ बयासी) प्रति हजार बिना बारकोड ओ.एम.आर. शीट के होगी तथा दो पेज उत्तर पुस्तिका निमार्ण कर्ता व्यय स्वयम् वहन करेगा उ.पु. कुल 40 पेज की होगी इस सन्दर्भ में मेसर्स कैलाश प्रिंटिंग प्रेस भोपाल का पत्र लिखित में प्राप्त है जो की पतका (अ) पर अवलोकनार्थ संलग्न तथा अनुबंध की छाया प्रति संलग्न है जिसमें बारकोड वाली शीट की दरे अंकित है जो की अनुमोदित है। रू 6482/- प्रति हजार दर अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है।

1. माह नवम्बर में **I III V** सेमेस्टर हेतु 5,00,000 उत्तर पुस्तिका उपलब्ध है।

UG	उ.पु.	2,00,000	दो लाख
PG	उ.पु.	1,00,000	एक लाख
PC	उ.पु.	2,00,000	दो लाख (प्रोफेशनल कोर्स के लिए)

2. वर्ष 2019 मार्च की वार्षिक पद्धित में 85,000 छात्र सम्मिलित हुए थे वर्ष 2020 में तृतीय की परीक्षा पद्धित से होना है इसलिए प्रथम में 55000 द्वितीय में 40000 तृतीय में 35000 हजार इस प्रकार तीनो परीक्षाओं में लगभग (एक लाख तीस हजार) छात्र सम्मिलित होने का अनुमान है माह अप्रेल,मई में **II IV VI** सेमेस्टर परीक्षा एवं पूरक,ए. टी.के.टी. परीक्षा आयोजित होना है। उक्त परीक्षा में 35,000 हजार छात्र सम्मिलित होने का अनुमान है।

(अतः उपर्युक्त विवरणानुसार बिना बारकोड वाली उत्तर पुस्तिकाए निम्नानुसार क्रय की जाना प्रस्तावित है)

						दर प्रति हजार
1.	**UG**	उ.पु.	14,00,000	चवदा लाख	40 पेज	रू.6482
2.	**PG**	उ.पु.	1,00,000	एक लाख	40 पेज	रू.6482
3.	प्रायोगिक	उ.पु.	3,00,000	तीन लाख	12 पेज	रू.2316

निरंतर...13

3. उक्त उत्तर पुस्तिकाऐं बजट वित्त वर्ष 2019-20 में मद 2-(31) प्रावधानित राशि रू. 1,30,00,000 से अनुबंध की शर्तो का पालन सुनिश्चित करते हुए क्रय की जावेगी। उक्त तीनो प्रकार की 18,00,000 उत्तर पुस्तिकाओं की समस्त परीक्षाओं में आवश्यकता होगी,आगामी परीक्षा माह मार्च 2020 मुख्य परीक्षा,माह अप्रैल,मई में **II IV VI** सेमेस्टर परीक्षा,ए.टी.के.टी.,पूरक परीक्षाओं के लिए आवश्यकता अनुसार UG,PG, प्रयोगिक उ.पु. उक्त तीनो प्रकार की उत्तर पुस्तिका क्रय पर रू. 1,04,17,800(एक करोड़,चार लाख,सत्रह हजार,आठ सौ) का व्यय होगा।प्रस्ताव कार्यपरिषद की बैठक के समक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,उक्त प्रकरण उच्च क्रय समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जा कर तद्नुसार निर्णय हेतु माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया गया।

(क्रियान्वयन - मुद्रणालय विभाग)

विषय क्रं.2. दिनांक 01.07.2019 से 30.09.2019 तक विश्वविद्यालय के वास्तविक आय एवं व्यय के संधारित लेखाओं का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

टिप्पणी :- विश्वविद्यालय के लेखा विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2019 से 30.09.2019 तक संधारित लेखाओं के विवरण अनुसार वास्तविक आय एवं व्यय का संलग्न पत्रक अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्ताव कार्यपरिषद की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,वास्तविक आय व्यय संलग्न पत्रक अनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

(क्रियान्वयन - लेखा विभाग)

विषय क्रं.3. राशि रूपये 3.65 लाख का पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

टिप्पणी :- वर्ष 2019-20 को सेन्ट्रल जोन उत्सव के लिये दिनांक 14 से 18 दिसम्बर, 2019 को ग्वालियर और राज्य स्तरीय युवा उत्सव दिनांक 28 से 30 दिसम्बर,2019 को रीवा में होने जा रहा है। उक्त युवा उत्सव में विश्वविद्यालय के दोनों दलों को भेजने में लगभग 4.00 लाख के व्यय होने का अनुमान है। विश्वविद्यालय के बजट मद क्र./7(14)2 में उपलब्ध शेष राशि कम होने से संलब्न पुनर्विनियोजन पत्रक अनुसार उक्त अनुमानित व्यय राशि विश्वविद्यालय के बजट मद क्र./07 विद्यार्थी कल्याण विभाग के अन्य मदों में उपलब्ध राशि में से राशि रूपये 3.65 लाख का पुनर्विनियोजन किये जाने हेतु प्रस्ताव कार्यपरिषद की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,विश्वविद्यालय बजट मद क्रं./7(14)2 में पुनर्विनियोजन पत्र के अनुसार विश्वविद्यालय बजट मद क्रं./7 विद्यार्थी कल्याण विभाग के अन्य मदों में उपलब्ध राशि में से राशि रू. 3.65 लाख कका पुनर्विनियोजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन - विद्यार्थी कल्याण विभाग)

विषय क्रं.4. पी.जी.डिप्लोमा इन योगा एज्युकेशन एण्ड फिलोसॉफी के नियमित विद्यार्थियों के नामांकन एवं

निरंतर...14

टिप्पणी :- पी.जी.डिप्लोमा इन योगा एज्युकेशन एण्ड फिलोसॉफी 2018 के नियमित प्रवेशित 10 छात्रों का समय-सीमा में नामांकन नहीं होने के कारण विद्यार्थियों की अंकसूची रोकी गई है। उक्त परीक्षा ऑफलाईन पद्धति से संचालित की जाती है। संकायध्यक्षों समिति की बैठक दिनांक 10.05.2019 द्वारा निर्णय लिया गया है कि सत्र 2017-18 के नियमित छात्रों का नामांकन कर अंकसूची प्रदान करने हेतु पृथक से समिति गठित की जाये। उक्त निर्णय के अनुसरण में माननीय कुलपतिजी द्वारा दिनांक 12.07.2019 को समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दिनांक 15.07.2019 को निर्णय लिया गया कि अध्यादेश क्र.8 की कंडिका क्र.4 (2)

On payment of late fee as prescribed for the session by the Exevutive Council,the Kulpati may, for special reasons to be recorded, permit the enrolment of a student whose application form. Enrolment fee or the migration certificate have been submitted after the due date and if the Kulpati is satisfied that the delay in submission is not due to any lack of diligence on the part of the student, he may saction remission of the late fee. के अनुसार माननीय कुलपतिजी सत्र 2017-18 पी.जी. डिप्लोमा इन योगा एज्युकेशन एण्ड फिलोसॉफी के विद्यार्थियों का नामांकन करने की अनुमति मय विलम्ब शुल्क के साथ प्रदान कर सकते हैं। तदुपरांत संबधित विद्यार्थियों की अंकसूची प्रदाय की जावे। उपरोक्त समिति द्वारा निर्णय की संपुष्टि संकायाध्यक्षों की समिति द्वारा किया जाना उचित है। संकायाध्यक्षों समिति की बैठक दिनांक 25.09.2019 को आयोजित हुई । उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सत्र 2017-18 के पी.जी. डिप्लोमा इन योगा एज्युकेशन एण्ड फिलोसॉफी के नियमित विद्यार्थियों के नामांकन एवं अंकसूची प्रदाय करने संबधी प्रकरण कार्य-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव समस्त अभिलेखों सहित कार्य-परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,प्रस्तावानुसार वर्ष 2017-18 पी.जी.डिप्लोमा इन योगा एज्यूकेशन एण्ड फिलोसॉफी के नामांकन प्रक्रिया से शेष रह गये विद्यार्थियों का नामांकन बिना विलम्ब शुल्क के किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार परीक्षा में प्रविष्ठ ऐसे परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम एवं तदनुसार अंकसूची जारी करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

(क्रियान्वयन - परीक्षा विभाग)

विषय क्रं.5. प्रो.मोरध्वज सिंह परिहार,निवर्तमान अध्यक्ष म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक,भोपाल के बकाया वेतन भुगतान पर विचार।

टिप्पणी :- म.प्र.शासन,उच्चशिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रं./291/75/सीसी/17/38,भोपाल,दिनांक 27.05.2019,के परिपालन में प्रो.एम.एस.परिहार,आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,प्राणिकी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन को म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रं./प्रशा./संस्था./शिक्ष./19/745, दिनांक 27.05.2019 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया।

म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,भोपाल के पत्र क्रं./587/187/सीसी/19/38,भोपाल,दिनांक 18.09.2019,द्वारा प्रो.एम.एस.परिहार को दिनांक 28.05.2019,से विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन से भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया।

निरंतर...15

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन से भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रो.एम.एस.परिहार,के वेतन भुगतान के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रं./प्रशा./संस्था./2019/1864,दिनांक 13.11.2019 द्वारा प्राप्त विधिक अभिमत संलग्न कर वेतन भुगतान के संबंध में पत्र अवर सचिव,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल को पत्र प्रेषित किया गया।

म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल के पत्र क्रं./950/187/सीसी/19,भोपाल, दिनांक 15.11.2019 द्वारा प्रो.एम.एस.परिहार को दिनांक 28.05.2019,से सेवानिवृत्ति तिथि 31.10.2019 तक बकाया वेतन भुगतान विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन से ही शीघ्र कर विभाग को अवगत कराने हेतु सूचित किया गया।

अतः प्रकरण वेतन भुगतान करने के संबंध में कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,प्रो.मोरध्वज सिंह परिहार,निवर्तमान अध्यक्ष म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक,भोपाल एवं पूर्व आचार्य,विभागाध्यक्ष प्राणिकी अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/प्रशा./संस्था./शिक्षा./19/745,दिनांक 27.05.2019 द्वारा कार्यमुक्त किया गया। इसी प्रकार उन्हे उक्त दिनांक से सेवा निवृत्ति दिनांक 31.10.2019 तक का स्वत्वभार भी विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। अतः ऐसी परिस्थिति में नियमानुसार प्रो.मोरध्वज सिंह परिहार,के दिनांक 27.05.2019 से दिनांक 31.10.2019 तक के वेतन का भुगतान मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,भोपाल के द्वारा किये जाने हेतु शासन को अवगत कराया जावे।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.6. श्रीमती उषा जाटवा, कार्यपरिषद् सदस्य,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन से प्राप्त पत्र दिनांक 13.11.2019 पर विचार।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि,श्रीमती उषा जाटवा,कार्यपरिषद् सदस्य,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन से प्राप्त पत्र दिनांक 13.11.2019 आगामी बैठक में सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जाये।

(क्रियान्वयन - प्रशासन विभाग)

<u>सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव</u> :-

1. डॉ. आलोक कुमार राय - विश्वविद्यालय में पृथक-पृथक अध्ययनशालाओं (वेद,संस्कृत एवं ज्योतिर्विज्ञान) को एक अकादमिक विभाग में समाहित किये जाने हेतु विद्यापरिषद् में विचारार्थ रखाजाना उचित होगा।

कुलसचिव